षष्ठम माला, खंड I, अंक 11, गुरुवार, 7 अप्रैल, 1977/17 चैत्र 1899 (शाक)

Sixth Series, Vol. I, No. 11, Thursday, April 7, 1977/Chaitra 17, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र

First Session]

सत्यमेव जयते

[खंड I में अंक 1 से 7 तक हैं

Vol. I contains Nos. 1 to 7]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: चार रुपये

Price: Four Rupees

यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी म अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.

विषय सूची/CONTENTS

अंक 11 गुरुवार, 7 अप्रैल, 1977/17 चैत्र 1899 (शक)

No. 11, Thursday, April, 7, 1977/Chaitra 17, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 4	Short Notice question No 4 . . .	1
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privileges-	
अमरीकी टेलीविजन पर जुलाई 1975 में श्री० टी० एन० कौल द्वारा की गई कथित टिप्पणियां	Certain remarks by Shri T.N. Kaul on television network in U.S.A. in July, 1975 . .	5
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	5
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills . .	18
आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, कुछ अन्य मंत्रियों तथा अधिकारियों के आचरण के बारे में याचिका	Petition re. conduct of Andhra Chief Minister, other Ministers and Officials . . .	18
आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच करवाने के सरकार के आदेश के बारे में वक्तव्य—	Statement re. proposal of Order Inquiry into excesses committed during the Emergency .	19
चौधरी चरण सिंह	Chaudhuri Charan Singh	19
दिल्ली पुलिस की हिरासत में डाकू सुन्दर सिंह की मृत्यु के बारे में जांच के सरकार के आदेश सम्बन्धी वक्तव्य–	Statement re. proposal of Govt to order Inquiry into the Death of Dacoit Sunder Singh in the custody of Delhi Police	20
चौधरी चरण सिंह	Chaudhuri Charan Singh	20
'समाचार' के कार्यकरण की जांच करने के बारे में समति का गठन करने सम्बन्धी वक्तव्य	Statement re. Appointment of a Committee to examine the functioning of 'Samachar' . .	21
श्री लाल कृष्ण अडवानी	Shri L.K. Advani . .	21
संसद सदस्यों को मकानों के आबंटन के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Allotment of Accommodation to Members . .	22
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary . .	22
सविधान (43वां संशोधन) विधेयक–	Constitution (Forty-third Amendment) . .	22
पुरःस्थापित	Bill—Introduced . .	22
नियम 377 के अधीन मामला	Matters Under Rule 37	23

अता: प्रा० स० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	एक आयकर अधिकारियों द्वारा ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वयं सेवी एजेन्सियों की संख्या के कार्यालय पर छापा	Income Tax Raid on the office of AVARI	23
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	23
	लोक सभा के चुनाव में हुए कदाचार के बारे में शिकायतें	Complaints about mal-practices during the Lok Sabha Elections .	24
	श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra . . .	25
	आन्ध्र प्रदेश में ओंगोल के निकट नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी के विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Crash of an aircraft of National Remote Sensing Agency-near Ongola, Andhra Pradesh . . .	25
	श्री पुरूषोत्तम कौशिक	Shri Purushottam Kaushik	25
	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Bill . .	26
		Motion to consider—	26
	श्री लाल कृष्ण अडवानी	Shri L.K. Advani—	26
	श्री पूर्ण नारायण सिन्हा	Shri Purnanarayan Sinha	26
	श्री जे० रामेश्वर राव	Shri J. Rameshwar Rao	26
	श्री लक्ष्मी नारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak	27
	श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi .	27
	श्री केशवराव धोंडगे	Shri Keshavrao Dhondge	27
	श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	28
	श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen .	28
	डा०रामजी सिंह	Dr. Ram Jee Singh .	29
	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan	29
	श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.C. Mavalankar .	30
	श्री सोगता राय	Shri Sougata Roy .	30
	खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and . .	32
	पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass . .	32
	श्री लाल कृष्ण अडवानी	Shri L.K. Advani .	32
	ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वयं-सेवी एजेंसियों तथा कुछ अन्य संगठनों के विरूद्ध जांच के बारे में वक्तव्य—	Statement re. enquiries against AVARD and some other Organisation . . .	32

U.S.Q. Nos विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
चौधरी चरण सिंह	Chaudhuri Charan Singh	32
काफी, मूंगफली की गिरी, छिलका सहित मूंगफली और इलायची के निर्यात शुल्क में वृद्धि करने के बारे में सांविधिक संकल्प स्वीकृति–	Statutory Resolution Re. Increasing the Export Duty on Coffee, Groundnut Kernel, Groundnut in Shell and Cardamom—Adopted .	33
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel .	33
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा	Shri D.B. Chandra Gowda	34
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A.C. George . .	34
श्री धर्मसिंहभाई पटेल	Shri Dharmasinbhai Patel	35
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen .	35
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan .	35
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi .	36
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	36
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . . .	36
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति का संदेश	Message from Vice-President Acting as President	38
संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव—	Government of Union Territories (Amendment) Bill	38
	Motion to consider—	
चौधरी चरण सिंह	Chaudhuri Charan Singh	38
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin .	38
श्री अमृत शिवराम कासर	Shri Amrut Kasar .	39
श्री एडुआरडो फलेरो	Shri Eduardo Faleiro .	39
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder . . .	39
श्री कर्पूरी ठाकूर	Shri Karpoori Thakur .	39
प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना	Pro.Shibban Lal Saksena . . .	40
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	40
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 .	40
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधन रूप में	Motion to pass, as amended . . .	41
चौधरी चरण सिंह	Chaudhuri Charan Singh	41
दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक–	Delhi Administration (Amendment) Bill .	41
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider .	41
चौधरी चरण सिंह	Chaudhuri Charan Singh	41
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin . .	42

अ
त : प्र० सं०

U.S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री विजय कुमार मल्होत्रा	Shri Vijay Kumar Malhotra . . .	42
चौधरी ब्रह्म प्रकाश	Chaudhry Brahm Perkash	42
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa .	42
श्री शिव नारायण सरसूनिया	Shri Siv Narain Sarsonia . . .	43
श्री किशोर लाल	Shri Kishor Lal . .	43
खण्ड 2, 4 और 1	Clauses 2, 3 and 1 .	44
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass . .	44
चौधरी चरण सिंह	Chaudhuri Charan Singh . . .	44
विवादस्पद चुनाव (प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष) विधेयक	Disputed Elections (Prime Minister and Speaker) Bill . .	44
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider .	44
श्री शाँति भूषण	Shri Shanti Bhushan .	44
श्री ओ० वी० अलगेसन	Shri O.V. Alagesan .	45
श्री एच० वी० कामथ	Shri Hari Vishnu Kamath . . .	45
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	46
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur .	46
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain . .	46
खण्ड 2 से 28 और 1	Clauses 2 to 28 and 1	47
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass . .	47
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan .	47
खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक	Food Corporation (Amendment) bill	49
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में	Motion to consider as passed by Rajya Sabha	49
श्री प्रकाश सिंह बादल	Shri Prakash Singh Badal	49
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	50
श्री समर गुह	Shri Samar Guha .	51
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa .	51
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen .	51
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana .	51
श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य	Shir Shyamaprasanna Bhattacharyya . .	52
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu . .	52

अता : प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 . .	53
	पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass . .	53
	श्री प्रकाश सिंह बादल	Shri Prakash Singh Badal . . .	53
	केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक के सम्बन्ध में गारंटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के बारे में सांविधिक संकल्प -स्वीकृत	Statutory Resolution Re. Increase in Maximum Guarantee Limited in respect of Central Co-operative Banks and the Tamil Nadu State Cooperative Bank-Adopted . . .	53
	श्री प्रकाश सिंह बादल	Shri Prakash Singh Badal . . .	53
	श्री ओ० वी० अलगेसन	Shri O.V. Alagesan .	54
	श्री एम० कल्याण सुन्दरम्	Shri M. Kalyanasundaram	54

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 7 अप्रैल, 1977/17 चैत्र 1899 (शक)

Thursday, April, 7 1977/Chaitra 17, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 4

SHORT NOTICE QUESTION NO. 4

अनधिकृत बस्तियों का नियमित किया जाना

4. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या सरकार का विचार बृहत्त योजना में कोई परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बृहत योजना में आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देने हेतु एक समिति की नियुक्ति की घोषणा करेंगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकार द्वारा फरवरी, 1977 में यह निर्णय लिया गया था कि कतिपय शर्तों के आधार पर दिल्ली की विभिन्न अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर दिया जाए। जारी किये गये आदेश की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी है।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 228/77)

(ख) जहां कहीं भी ऐसा नियमितिकरण निर्धारित शर्तों के अनुसार आवश्यक तथा व्यवहार समझा जाएगा वहां जोनल विकास प्लान बृहत योजना में समाविष्ट करने के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन पर विचार उसके गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा।

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति के अनुसार अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण और विकास की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिये, एक उच्चस्तरीय कार्यान्वयन निकाय स्थापित किया जाता है।

Shri Kanwar Lal Gupta: About 8 lakh people were uprooted and properties worth crores of rupees were destroyed by the previous Government during the last twenty months. All this happened on account of demolition. Those uprooted were removed to places where no basic amenities were available. They are living there like animals, not like human beings. Will the hon. Minister be pleased to state whether it is not a fact that all these decisions were taken in the presence of the Prime Minister and in the presence of D.D.A. officers and it was decided to demolish all the constructions, even those which were put up before 1971? I want to know whether this decision was taken in the presence of the Prime Minister? I want to know by what time the implementation body will be constituted? Is he in a position to fix a deadline for the regularisation of these colonies?

श्री सिकन्दर बख्त : मकान गिराने का निर्णय जुलाई, 1974 के प्रथम पक्ष में प्रधान मंत्री के कमरे में हुई बैठक में किया गया था। उच्च स्तरीय कार्यान्वयन निकाय का गठन शीघ्र ही किया जायगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या आप बस्तियों के नियमित करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि निर्धारित कर सकते हो ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं इसी समय कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं कर सकता ।

Shri Kanwar Lal Gupta: Will the hon. Minister assure the House about the change of Master Plan and the change of land use? There are many big colonies like Shastri Nagar, which have not been shown as residential areas in the Master Plan, but the population there is nearly 60 to 70 thousand and crores of rupees have been spent in the construction thereof. Can he assure the House that change of land use will be done in such cases and no demolition will take place?

Some markets were also demolished by the previous Government and the occupants were sent at places where there were no amenities, such as water, roads or drainage. I want to know whether a survey will be conducted in this regard and necessary amenities will be provided there?

Slums were cleared by the previous Government. The occupants had their pucca houses there. I want to know whether quarters will be constructed at these places and allotted to those persons?

श्री सिकन्दर बख्त : पहले दो प्रश्नों का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं कि भूमि उपयोग में परिवर्तन उसके गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा । जहां तक भाग (ग) का सम्बन्ध है मैंने कहा है कि अनधिकृत बस्तियों का नियमिनिकरण और विकास सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार किया जायेगा । सरकार ने यह भी वचन दिया है कि जिन्हें रिहायशी क्षेत्रों से हटाया गया है, उन्हें पुन: वहीं बसाया जायेगा ।

श्री जगनाथ राव : आपात स्थिति के हटाये जाने के बाद अन्धाधुन्ध झुग्गियां तथा झौंपड़ियां बनाई जा रही हैं । क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों को आवश्यक सुविधायें प्रदान किये जाने के बाद उन्हे हटाया जाये ?

श्री सिकन्दर बख्त : इस बारे में सरकार जागरूक है ।

Shri D. N. Tiwary: Will Government allot alternate houses or plots to those, whose houses have been bulldozed during 1975-76 and who have so far been denied alternate allotment?

Shri Sikandar Bakht: Yes, Sir.

श्री पी० राजगोपाल नायडू :– : क्या सरकार हटाये गये व्यक्तियों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ?

श्री सिकन्दर बख्त : जी, हां ।

Shri Y. P. Shastri: I want to know from the hon. Minister whether Government propose to provide assistance to those, whose houses have been bulldozed? Secondly, certain State Governments have resorted to demolition of the houses during emergency despite the fact that the occupants of those houses had obtained stay orders from the Courts. I want to know whether the Central Government will direct the State Governments to compensate those whose houses have been demolished without valid orders from the Courts or whose houses have been demolished against the orders of the Courts?

Shri Sikander Bakht: I have not yet been able to think over this question.

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि लगभग दस लाख लोगों को उन के घर से हटाया गया है ? इस बात को देखते हुए कि इतने अधिक लोगों को हटाया गया है, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेग कि हटाये गये लोगों को पुन: उन स्थानों में ही बसाया जाये, जहां से उन्हे हटाया गया है ? इसके अतिरिक्त जिन लोगों के उनके पूर्व स्थानों पर नहीं बसाया जा सका तथा जो अनधिकृत बस्तियों में हैं, क्या उन्हे आवश्यक सुविधायें प्रदान की जायगी । क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हे सस्ती परिवहन सेवाएं उपलब्ध की जायें, तकि वे दूरस्थ स्थानों से अपने का के स्थानों पर आ सकें ?

श्री सिकन्दर बख्त : प्रश्न के पहले भाग के उत्तर के लिए मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। प्रश्न के दूसरे और तीसरे भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है।

Shri Hukam Chand Kachwai: In most of the major cities of the country, there are numerous illegal colonies, but water and power facilities have been provided therein. I want to know when the colonies are illegal, why these facilities have been provided there? In case these facilities have been provided, have the Central Government directed the State Governments not to demolish them and to regularise them? There is exodus of rural population towards cities and that is why these colonies are coming up. I want to know whether Government are taking some steps to see that good houses are constructed in the villages and facilities of employment are also provided there, so that this exodus is checked?

Shri Sikandar Bakht: I have not yet been able to consider the second part of your question. So far as the first part of your question is concerned, the issue was with regard to Delhi only.

Shri Hukam Chand Kachwai: The hon. Speaker has not stated that this question concerns Delhi only. The hon. Minister has not understood my question and that is why he is giving incorrect reply. That does not solve the matter. There is no mention in the question about Delhi.

श्री सिकन्दर बख्त : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं।

Shri P. Ram Gopal Reddy: The citizen of Delhi have voted Janata Party to power with the hope that the slum dewellers who have been evicted will be brought back to their original places. I want to know whether this will be done?

Shri Sikandar Bakht: Yes Sir, this will be done.

Shri Virendra Prasad: I want to know the number of families whose houses have been demolished under Master Plan and the arrangements proposed to be made by Government for those families?

Shri Sikandar Bakht: I do not have figures about the number of houses demolished, but I can say this much that efforts are being made to better the conditions of resettlement. Secondly, the people removed from residential areas will be resettled there.

Dr. Sushila Nayar: I want to know whether alternate sites would be allotted to the voluntary organisations which used to look after education and health etc. of the juggi jhonpri dewellers and the residents of the unauthorised colonies, which have been uprooted. so that they may continue their services. I may also state that discrimination has been done in this regard and only certain organisations have been allotted sites on party basis.

Shri Sikandar Bakht: The organisation which owned land and other property at the places of eviction will also be allotted sites at new places.

Md. Shafi Qureshi: The hon. Minister has stated that some persons have been evicted illegally that means some other persons have been evicted legally. I want to know whether persons belonging to both categories would be brought back to their previous places.

Shri Sikandar Bakht : I have submitted that those removed from the residential areas of Delhi will be brought back after developing those areas.

Shri Roopnath Yadav : Will the hon. Minister be pleased to state the steps proposed to be taken by the Government for the resettlement of Harijans and weaker sections?

Shri Sikandar Bakht : They will also be treated at par with others.

Shri Surender Vikram : Will the hon. Minister be pleased to state the steps proposed to be taken for the resettlement of those evicted in Lucknow and Bombay in the name of beautification of these cities?

Shri Sikandar Bakht : I have not yet considered this question, but I will certainly look into it.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें सैयद अब्दुल्ला बुखारी से, जो कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों के प्रवक्ता हैं, उन लोगों के पुनर्वास के बारे में, जिन्हें तुर्कमान गेट तथा अजमलखां रोड आदि हटाया गया, कोई पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पत्र का पाठ क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे कोई पत्र नहीं मिला है।

श्री सौगता राय : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या जामा मस्जिद के आस पास के क्षेत्रों को, जो बहुत गंदा रहा करता था और जो कि पूजा का स्थान है, पुन. उसकी पहली हालत में लाया जायेगा (**व्यवधान**)

श्री बसन्त साठे : उन्होंने चुनाव के दौरान बचन दिया था कि जिन लोगों को हटाया गया है, उन्हे पुनः वापस लाया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप कब तक ऐसा करेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह प्रश्न मूल प्रश्न से पैदा नहीं होता। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न स्पष्ट है कि क्या गन्दी बस्तियों को अपनी पहली हालत में लाना चाहते हैं अथवा नहीं हां अथवा नहीं में उत्तर दीजिए।

श्री सिकन्दर बख्त : जामा मस्जिद के आस पास किये गए परिवर्तन स्थायी हैं।

डा० बलदेव प्रकाश : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उन लोगों को, जिन के मकान गिरा दिये गये हैं और दिल्ली के बाहर फेंक दिया गया है, बने बनाये मकान दिये जायेंगे अथवा प्लाट दिये जायेंगे अथवा मकान बनाने के लिये ऋण दिया जायेगा ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं पहले ही कह चुका हूं कि उन का पुनर्वास किया जायेगा और उन लोगों को जिन्हें वहां से हटाया गया है, पुन. उन्हीं स्थानों पर बसाया जायेगा। उन्हें ऋण देने का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Ram Kanwar : Mr. Speaker, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether arrangements will be made for providing houses at one place to those poor labourers engaged in work of construction of buildings etc. who have been thrown out at a distance of 20 to 22 miles from the city at different places, though they belong to the same family?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं इस प्रश्न पर गौर नहीं कर पाया हू।

श्री केलकप्पा : गंदी बस्तियों में रहने वालों, पटरियों पर रहने वालों तथा अन्य व्यक्तियों के बारे में उनकी रहने की दशा सुधारने के लिए भूतपूर्व सरकार ने कुछ कदम उठाये थे। वृहद योजना बनाई गई थी तथा उसे क्रियान्वित किया जा रहा था। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सरकार पहली सरकार द्वारा बनाई गई वृहद योजना को उलटना चाहती है, ताकि समूचे प्रश्न को राजनैनिक दृष्टिकोण से देखा जा सके। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि गंदी बस्तियों में रहने वालों, झौंपडियों में रहने वालों तथा अन्य लोगों की दशा सुधारनें के लिए भूतपूर्व सरकार द्वारा बनाई गई वृहद योजना को नहीं बदला जायेगा।

श्री सिकन्दर बख्त : वर्तमान सरकार पहली सरकार से अधिक भलाई करना चाहती है।

Shri Gauri Shankar Roy : I want to know whether the Jama Masjid area is residenial area?

Shri Sikandar Bahkt : No, Sir.

Shri Chand Ram : I want to know whether the persons removed from there will be given financial assistance for building houses or carrying on business?

Shri Sikandar Bahkt : If houses are to be constructed for them, the question of giving financial help does not arise.

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

अमरीकी टेलीविजन पर जुलाई, 1975 में श्री टी० एन० कौल द्वारा की गई कथित टिप्पणियां

अध्यक्ष महोदय : 1 अप्रैल, 1977 को श्री ज्योतिर्मय बसु ने श्री टी० एन० कौल, अमेरिका में तत्कालीन भारतीय राजदूत, के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। श्री बसु ने अन्य बातों के साथ साथ कहा था कि श्री टी० एन० कौल ने जुलाई, 1975 में अमेरिका के दूर दर्शन को दी गयी अपनी भेंट में कहा था कि "राजनीतिक नेता जेलों में बन्द नहीं हैं अपितु वह अपने घरों में नजर बन्द हैं।"

विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने इस संबंध में 1 अप्रैल, 1977 को सदन में एक वक्तव्य दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि श्री कौल से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। श्री कौल ने कहा है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की उनकी इच्छा कदापि नहीं थी। उस समय उन्हें जो जानकारी प्राप्त थी उसी के आधार पर उन्होंने यह वक्तव्य दिया। श्री कौल ने यह भी निवेदन किया है कि यदि अधूरी जानकारी के आधार पर दिए गए मेरे इस वक्तव्य से किसी को दुःख पहुंचा है तो मुझे उसका खेद है। गलत वक्तव्य देने का मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। श्री वाजपेयी ने कहा कि श्री कौल द्वारा की गई टिप्पणी तथ्यों पर आधारित नहीं थी।

मैंने मामले पर ध्यानपूर्ण विचार किया है। विशेषाधिकार का मामला केवल उसी अवस्था में उठाया जा सकता है जबकि आपत्ति योग्य कथन का संबंध या तो सभा की कार्यवाही से हो अथवा संसद् सदस्यों के कर्तव्य निर्वहन के बारे में हो श्री कौल का वक्तव्य राजनीतिक नेताओं के संबंध में है न कि संसद् सदस्यों के बारे में हालांकि संसद सदस्य भी राजनीति नेता ही होते हैं।

दूसरे श्री कौल ने यह वक्तव्य पांचवी लोक सभा के दौरान जुलाई, 1975 में दिया और अब छठी लोक सभा में इस मामले को विशेषाधिकार के मामले के रूप में नहीं उठाया जा सकता।

इन परिस्थितियों में इस मामले में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न निहित नहीं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रकाशस्तम्भ केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति (प्रक्रिया) नियम, 1976, नाविक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम 1976 व्यापार पोत परिवहन विकास निधि समिति (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 1976 आदि

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) भारतीय प्रकाश स्तम्भ अधिनियम, 1927 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रकाश स्तम्भ केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति (प्रक्रिया) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1734 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी०-164-77)

(2) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 24 के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 4 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1284 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० 165–77)

(3) व्यापार पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पोत परिवहन विकास निधि समिति (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि) नियम 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति जो दिनांक 15 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 93 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० 166-77)

(4) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(क) पूमपूहर पोत परिवहन निगम मद्रास की 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुई अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षीत लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां।

(ख) पूमपूहर पोत परिवहन निगम, मद्रास की 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुई अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) क और (ख) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल० टी० 167–77)

(6) व्यापार पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) पोत परिवहन विकास निधि समिति का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पोत परिवहन विकास निधि समिति का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० 168–77)

(8) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनाक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक एक प्रति।—

(एक) जी० ओ० एम० 2241 जो दिनांक 29 सितम्बर 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटरयान नियम, 1940 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) जी० ओ० एम० 2579 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटरयान नियम, 1940 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) जी० ओ० एम० 2614 जो दिनांक 10 नवम्बर, 1976 के तमिनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटरयान नियम, 1940 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(चार) जी० ओ० एम० 2668 जो दिनांक 17 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटरयान दुर्घटना दावे नयायाधिकरण नियम 1961 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(पांच) जी० ओ० एम० 66 जो दिनांक 26 जनवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटरयान नियम, 1940 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये एल टी 169/77)

तमिलनाडु कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1959 **के अन्तर्गत अधिसूचनाएं**

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) मैं निम्नलिलित पत्र सभा पटल पर रखता हूं —

तमिलनाडु राज्य के संबन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1959 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक 15 अगस्त, 1973 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित ज्ञापन संख्या 69404-ए एम आई-73-3 ।

(दो) दिनांक 13 अगस्त, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित ज्ञापन संख्या 100402-ए एम आई-73-3 ।

(तीन) दिनांक 19 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 759 ।

(चार) दिनांक 20, अक्तूबर 1976 के तमिलनाडू सरकार राजपत्र में प्रकाशित ज्ञापन संख्या 76441-एएमआई। 76-3 ।

(पांच) दिनांक 20 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 1903 ।

(छः) दिनांक 20 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 1909 ।

(सात) दिनांक 27 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 1923 ।

(आठ) दिनांक 10 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 1941 ।

(नौ) दिनांक 27 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 1969 ।

(दस) दिनांक 3 नवम्बर 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ०एम० संख्या 1982 ।

(ग्यारह) दिनांक 10 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित ज्ञापन संख्या 49234 एएमआई-75-II ।

(बारह) दिनांक 10 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 2063 ।

(तेरह) दिनांक 17 नवम्बर 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 2074 ।

(चौदह) दिनांक 17 नवम्बर, 1976 के तमिनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 2093 ।

(पन्द्रह) दिनांक 17 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 2107 ।

(सोलह) दिनांक 24 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 2126।

(सत्रह) दिनांक 15 दिसम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 2235।

(अट्ठारह) दिनांक 29 दिसम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार में राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 2335।

(उन्नीस) दिनांक 5 जनवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 2355।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए एल० टी० 170-77)

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इण्डो बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यकरण की समीक्षा, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे आदि

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : श्री एच० एन० बहुगुणा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:--

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :--

(1) इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इण्डोबर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड कलकता का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महा लेखा परीक्षिक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 171-77)

नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियम) अधिनियम, 1976, तमिलनाडु नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 आदि के अधीन अधिसूचना

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) नगरीय भूमि (अधिकतम बीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नगरीयभूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) आठवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 1 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 33 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 34 जो दिनांक 1 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 28 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 1261 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सां०आ० 38 जो दिनांक 1 जनवरी 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) नौवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०स०नि० 958 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सां० आ० 463 जो दिनांक 5 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) दसवां संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 5 फरवरी 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 183 में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी, 172-177)

(2) तमिलनाडू राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ तमिलनाडु नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 45 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :--

(एक) एस०आर०ओ० ए-387 (सी)/76 जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरका राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० ओ० एम० संख्या 2275 जो दिनांक 24 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) एस० आर० ओ० ए-478(ए) 76 जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1976 के तमिलनाडु सराकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) एस० आर० ओ० ए-39(बी)/77 जो दिनांक 22 फरवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 173/77)

(4) तनिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषण के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु गंदी बस्ती (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, 1971 की धारा 70 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० 43 जो दिनांक 11 फरवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तनिलनाडु गंदी बस्ती सफाई बोर्ड गैर-तकनीकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1972 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) जी०ओ०एम० 44 जो दिनांक 11 फरवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तनिलनाडु गंदी बस्ती सफाई बोर्ड गैर-तकनीकी अधीनस्थ सेवा नियम 1972 में कतिपय संशोधन किए गये हैं।

(तीन) जी०ओ०एम० 689 जो दिनांक 9 जून 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गंदी बस्ती सफाई बोर्ड गैर-तकनीकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1972 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(चार) जी०ओ०एम० 752 जो दिनांक 23 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके तमिलनाडु गंदी बस्ती सफाई वोर्ड गैर-तकनीकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1972 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(पांच) जी०ओ०एम० 753 जो दिनांक 23 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा तमिलनाडु गंदी बस्ती सफाई बोर्ड इंजीनियरिंग अधिकारी सेवा नियम, 1972 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(छः) जी०ओ०एम० 843 जो दिनांक 16 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु गंदी बस्ती सफाई बोर्ड गैर-तकनीकी अधिकारी सेवा नियम, 1972 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(सात) जी०ओ०एम० 908 जो दिनाक 24 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु गंदी बस्ती सफाई बोर्ड गैर-तकनीकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1972 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(आठ) जी० ओ० एम० 1050 जो दिनांक 11 अगस्त, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी दथा जिसके द्वारा तमिलनाडु गंदी बस्ती सफाई वोर्ड सेवा नियम, 1972 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(नौ) जी० ओ० एम० 1207 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 174-77)।

(6) तनिलनाडु स्थायी सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 6) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनाक 4 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल०टी० 175-77)

(7) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1977 को जारी की गई उद्घोषण के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु नगरीय भूमि कर अधिनियम, 1966 की धारा 45 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी०ओ०एम० संख्या 2014 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी०ओ०एम० संख्या 2015 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० ओ० एम० संख्या 2084 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) एस० आर० ओ० ए-192/76 जो दिनाक 16 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। दखिये एल०टी० 176/77)

भारत में विधान सभाओं के सामान्य निर्वाचनों, सम्बन्धी प्रतिवेदन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश, 1976, के अन्तर्गत कम्पनी (निक्षेप स्वीकृति) तीसरा संशोधन नियम, 1976, आदि

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : मैं निम्निलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारत में विधान सभाओं के सामान्य निर्वाचनों सम्बन्धी प्रतिवेदन की (1970-72) खण्ड ो (सांख्यिकीय)।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रखने के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखये संख्या एल० टी० 177/77)

(3) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय (जयपुर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 911(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 178/77)

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (निक्षेप स्वीकृति तीसरा संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्य सा० सां० नि० 965(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्य. एल०टी० 179-77)।

(5) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 23 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ सां॰नि॰ 123 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰ 180/77)।

नेशनल इन्स्टीट्यूट फार ट्रेनिंग इन इंण्डस्ट्रियल इजीनियरिंग, बम्बई, टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता, टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (दक्षिण क्षेत्र) भोपाल, आदि के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्दर) : मैं निम्निलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट फार ट्रेनिंग इन इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बम्बई के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखों की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त लेखे का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी)।

(ग्रंथालय में रखा गया। दखिये एल॰टी॰ 181/77)।

(2) टेकनीकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्ट्रीट यूट (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 182/77)

(3) टेकनीकल टीचर्स ट्रेनिग इंन्स्टीटयूट (दक्षिण क्षेत्र), भोपाल का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 183–77)

(4) इण्डियन कौंसिल आफ हिस्टोरिकल रिचर्स की नियमावली के नियम 45 के अन्तर्गत इण्डियन कौंसिल आफ हिस्टोरीकल रिसर्च के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रपि।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 184/77)

(5) इण्डियन कौंसिल आफ हिस्टोरिकल रिचर्स की नियमावली के नियम 44 (घ) के अन्तर्गत इण्डियन कौंसिल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च के 1974–75 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 185–77)

(6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1965 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिये कतिपय विश्वविद्यालय की उपयुक्तता) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ सां॰ नि॰ 1747 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 186/77)

(7) स्कूल आफ प्लानिग एण्ड आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 187/77)

(8) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 188/77)

(9) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(एक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1974–75 के प्रमाणित लेख तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1975–76 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(10) उपर्युक्त संख्या 9 (दो) में उल्लिखित दस्तावेज का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 189/77)

(11) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्-घोषणा के खण्ड (ग) चार) के साथ गठित तमिलनाडु गैर सरकारी कालेज (विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 54 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) तमिलनाडु गैर सरकारी कालेज (विनियमन) नियम, 1976 जो दिनांक 25 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजतत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1285 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) दिनांक 25 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में जी० ओ० एम० संख्या 1286 ।

(तीन) दिनांक 25 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 1287 ।

(चार) दिनांक 3 दिसम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 2216 ।

(पांच) दिनांक 1 दिसम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित जी० ओ० एम० संख्या 2477 ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 190/77)

(12) (एक) इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साईंस, बंगलौर के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 191/77)

(13) इण्डियन इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेंट, कलकत्ता के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ मास की अवधि के अन्दर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाल एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 192/77)

(14) इण्डियन इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 193/77)

(15) (एक) इंडियन स्कूल आफ, साइन्स, धनवाद के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कांण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 194/77)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादक (शोधित तेल उत्पाद विनियमन) संशोधन आदेश, तमिलनाडु राज्य (शक्तियों का प्रयोजन) अधिनियम, आदि

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रण) : मैं श्री मोहन धारिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत वनस्पति तेल उत्पादक (शोधित तेल उत्पाद विनियमन) संशोधन आदेश, 1977 जो दिनांक 2 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 103 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 195/77)

(2) तमिलनाडु राज्य विधान मंडल शक्तियों (का प्रतियोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) तमिलनाडु सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 1) जो दिनांक 10 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) तमिलनाडु सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 2) जो दिनांक 10 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 196/77)

(3) (एक) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गयी उदघोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (3) के अंतर्गत तमिलनाडु सिविल पूर्ति निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरिक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 197/77)

(4) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गयी उद्घोषण के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सहकारी समितियां अधिनियम, 1961 की धार 119 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) जी० ओ० एम० संख्या 549 जो दिनांक 18 अगस्त, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० ओ० एम० संख्या 550 जो दिनांक 18 अगस्त, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० ओ० एम० संख्या 731 जो दिनांक 10 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० ओ० एम० संख्या 844 जो दिनांक 22 दिसम्बर 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० ओ० एम० संख्या 843 जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छ:) जी० ओ० एम० संख्या 18 जो दिनांक 8 जनवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 198/77)

(5) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद् घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 38 क की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० संख्या 26 जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० ओ० एम० संख्या 36 जो दिनांक 9 फरवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 199/77)

(6) उपर्युक्त (4) और (5) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 200/77)

(7) चाय बोर्ड के वर्ष 1974-75 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे का विवरण।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 201/77)

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण का सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 202/77)

(9) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 32 की उपधारा (3) के अंतर्गत तम्बाकू बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1576 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 203/77)

(10) (एक) तमिलनाडु बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1958 की धारा 43 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 279 की एक प्रति जो दिनांक 12 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियम, 1967 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 204/77)

(11) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 205/77)

(12) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इलायची बोर्ड, एरणाकुलम के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 206/77)

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971, वायु निगम अधिनियम, 1953, एयर इण्डिया का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृत मन्त्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्दर) : मैं श्री पुरुषोत्तम कौशिक की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 25 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखा । गया देखिये संख्या एल० टी० 207/77)

(2) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 24 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के प्रभावित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 208/77)

(3) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) एयर इण्डिया का वर्ष 1975-75 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) इण्डियन एयर लाइन्स का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 209/77)

(4) वायु निगम अधिनियम, 1954 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति:--

(एक) एयर इण्डिया के वर्ष 1975-76 के प्रभावित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) इण्डियन एयर लाइन्स के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 210/77)

(5) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) वायुयान (छठा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1739 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) वायुयान (संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 29 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 48 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(तीन) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 31 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 49 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 211/77)

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1975-76 का प्रतिवेदन सघं सरकार (सिविल) भारत के महालेखा-परीक्षक का वष 1976 का प्रतिवेदन, सघं सरकार के वर्ष 1975-76 के विनियोग लेखे (सिविल), आदि

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : मै निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1975-76 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) ।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1976 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (वाणिज्यिक)—भाग–2—सेन्ट्रल फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 212/77)

(2) संघ सरकार के वर्ष 1975–76 के विनियोग लेखे (सिविल) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 213/77)

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सा० सां० नि० 134 (ङ) जो दिनांक 29 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 135 (ङ) जो दिनांक 29 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 711(ङ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

(तीन) सा० सां० नि० 146(ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 147(ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० सां० नि ०148(ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छ:) सा० सां० नि० 149 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० सां० नि० 150 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० सां० नि० 151(ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० सां० नि० 166 (ङ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 214/77)

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 158 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 215/77)

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अट्ठाइसवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 937 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 25 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 88 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 165(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पाँचवा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 2 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 443 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 216/77)

(6) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1959 की धारा 53 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० पी० 145 जो दिनांक 23 फरवरी, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(दो) जी० ओ० पी० 77 जो दिनांक 9 मार्च, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० ओ० पी० 162 जो दिनांक 9 मार्च, 1977 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 217/77)

(7) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ 4(2)/76-फिन (जी) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 मार्च, 1977 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 218/77)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत आपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के कार्य की समीक्षा, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां, तुंगभद्रा स्टील प्राडक्टस लिमिटेड के वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां, आदि

The Minister of Industry (Sh. Brijlal Verma) : I beg to lay on the table :—

(1) (एक) भारत आपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा,

(दो) भारत आपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 219/77)

(2) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) तुन्गभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 220/77)

(3) (एक) सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षीत लेखे, तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 221/77)

(4) (एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 222/77)

(5) (एक) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 223/87)

(6) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 224/77)

(7) (एक) माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 225/77)

(8) (एक) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद, के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत पम्पस् एण्ड कंम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 226/77)

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

महासचिव . मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दस विधेयक, जिनके सम्बन्ध में सभा में 29 मार्च, 1977 को सभा में सूचना दी गई थी, सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977
(2) विनियोग विधेयक, 1977
(3) विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, 1977
(4) विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1977
(5) तमिलनाडु विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977
(6) तमिलनाडु विनियोग विधेयक, 1977
(7) नागालैण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977
(8) नागालैण्ड विनियोग विधेयक, 1977
(9) पाण्डिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977
(10) पाण्डिचेरी विनियोग विधेयक, 1977 ।

आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री, कुछ अन्य मंत्रियों तथा अधिकारियों के बारे में याचिका

Petition Re. Conduct of Andhra Chief Minister, other Ministers and Officers

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमण्ड हार्बर) : महोदय, मैं, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, कुछ अन्य मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों के बारे में कोन्डा लक्षमण बापूजी तथा आन्ध्र प्रदेश विधान मंडल के इक्कीस अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न है ?

श्री के० लकप्पा : यह व्यवस्था का प्रश्न नियम 160 के अन्तर्गत है। याचिका प्रस्तुत किये जाने के कुछ नियम हैं। श्री बसु ने अपनी यौचिका में आपत्तिजनक मामला उठाया है जिसका सम्बन्ध मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के आचरण से है और विधान मंडल से है। यह मामला सामान्यतया विधान सभा में उठाया जाना चाहिये था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आप नई बात नहीं कर रहे। पहले भी कई बार इसका उल्लेख हुआ है। लेकिन मैं किसी सदस्य को इस मामले को उठाने से नहीं रोक सकता ? ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : आप सब लोक सभा की गरिमा बनाये रखें। सभा में हमें सभी का सहयोग चाहिये।

आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच करवाने के सरकार के आदेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. PROPOSAL TO ORDER INQUIRY INTO EXCESSES COMMITTED DURING THE EMERGENCY

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : हम हाल ही में अपने इतिहास के घोर अंधकार के दौर से गुजरे हैं। आपात स्थिति की उद्घोषणा के बाद हुई घटनाएं उन सभी के लिये मानसिक पीड़ा का कारण रही हैं जिन्होंने स्वतन्त्रता के हमारे संघर्ष के जन्मदाता तथा नेताओं के उच्च आदर्शों को आत्मसात किया है। ऐसा इसलिये नहीं है कि हम में से कुछ ने व्यक्तिगत यंत्रणाएं सही है परन्तु इसलिये है कि हमने अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से उन सभी आदर्शों को खंडित होते हुए देखा जिनके लिये हम जिए हैं और जिनके लिये हमने संघष किया है। वस्तुत: यह जनता की राजनीतिक प्रोढ़ता का सम्मान सूचक है कि एक शान्तिपूर्ण और अनुशासनबद्ध परिवर्तन आया है और अब हमें पिछले दिनों की गई गलतियों को ठीक करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन हम अपना कर्तव्य पूरा करने में असफल रहेंगे, यदि हम यह सुनिश्चित करने के लिये रचनात्मक कदम नहीं उठाते कि हाल ही में पिछले दिनों की घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में न होने पाए और उन मुट्टीभर लोगों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए जिन्होंने राष्ट्र पर अकथित अत्याचार किया है और आंतक फैलाया है।

2. संविधान और दूसरे कानूनों में परिवर्तनों के अलावा यह उद्देश्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि उच्चतम राजनीतिक सत्ताधारियों से लेकर निम्नतम सरकारी कर्मचारियों तक उन सभी को दंडित किया जाए जो आपातस्थिति के दौरान ज्यादतियों, अत्याचारों, कुकृत्यों के दोषी हैं। हम प्रतिशोध या रोष की भावना से काम नहीं कर रहे हैं बल्कि केवल जनता को दिये गए अपने वायदों तथा उनके आदेशों को पूरा कर रहे हैं। अन्यथा भी, यही उचित है कि उन सभी को दंड दिया जाए जो दोषी हैं। हम चाहते हैं कि सभी इससे सबक सीखें ताकि भविष्य में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये कोई भी सत्ता का दुरुपयोग करने का साहस न कर सके।

3. हमें मालूम है कि कई अधिकारियों ने भय और विवशता की स्थिति में कार्य किया है। इसलिये बदला लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है। न ही हम किसी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जासूसी करना चाहते हैं।

4. आपातस्थिति के दौरान किये गए कुकृत्यों की सूची वास्तव में बहुत लम्बी है। गिरफ्तारी और नजर बंदी के अधिकारों के घोर दुरुपयोग के बहुत से मामले हुए हैं। नजरबंदियों और राजनीतिक कैदियों के साथ दुर्व्यवहार और नृशंसता बरती गई है। परिवार नियोजन कार्य क्रम के कार्यान्वयन में जबरदस्ती और बल प्रयोग किया गया है जिसके कारण अनेक हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। नगरों को सुन्दर बनाने के नाम पर गैर कानूनी तोड़ फोड़ हुई है जिससे हजारों व्यक्ति बेघरबार हुए और उन्हें उनके व्यवसाय के स्थानों से मीलों दूर फेंका गया। हमने जबसे कार्यभार संभाला है हम इस मामले पर तत्परता से विचार कर रहे हैं। इस मामले के महत्व और सदन के सदस्यों की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए मैंने इस विषय पर सरकार के विचारों को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य देना उचित समझा है।

5. जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन हमारा एक जांच आयोग नियुक्त करने का विचार है जो आपातस्थिति के दौरान हुई ज्यादतियों, अनाचारों प्राधिकार के दुरुपयोग की शिकायतों तथा इससे संबंध सभी मामलों की जांच करेगा। जांच आयोग के अध्यक्ष कोई लब्धप्रतिष्ठ न्यायाधीश होंगे। प्रस्तावित जांच आयोग के अध्यक्ष की सलाह पर विचार करने के बाद जांच के विचारार्थ विषय और जांच का तरीका भी निर्धारित किया जाएगा।

6. हमको पहले ही कुछ विशिष्ट आरोप प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच करना प्रथमतया आवश्यक प्रतीत होता है। किन्तु यह संभव है कि आपात स्थिति के दौरान लोगों के मन में जो भय पैदा किया गया था उसके कारण लोगों ने चुपचाप यातनाएं सहन की और उनमें अपनी शिकायतें पेश करने का साहस नहीं था। इसलिये हम यह चाहते

कि आयोग विशिष्ट शिकायतें निश्चित समय के अन्दर आमंत्रित करने और यह निर्णय करने की स्थिति में होगा कि प्राप्त आरोपों में से किन किन की जांच की जाए। हमें आशा है कि आयोग अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अन्दर प्रस्तुत कर देगा। हम यह भी आशा करते हैं कि आयोग अन्तरिम रिपोर्ट भी दे सकेगा ताकि हम अन्तिम रिपोर्ट होने से पहले ही अनुवर्ती कारवाई कर सकें।

7. मुझे पूरी आशा है कि हमारी नीति का सदन के सभी दल स्वागत करेंगे। खासतौर पर मैं माननीय सदस्यों से प्रस्तावित आयोग को हर सम्भव सहयोग देने का अनुरोध करता हूं ताकि आयोग अपनी कठिन उत्तरदायित्व निभा सके।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : क्या यह सच है

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में न उठे। कृपया बैठ जाइये............ ...... (व्यवधान) इसे कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिया जायेगा।

दिल्ली पुलिस की हिरासत में डाकू सुन्दर सिंह की मृत्यु के बारे में जांच के सरकार के आदेश सम्बन्धी वक्तव्य

STATEMENT RE PROPOSAL OF GOVT. TO ORDER INQUIRY INTO THE DEATH OF DACOIT SUNDER SINGH IN CUSTODY OF DELHI POLICE

गृह मन्त्री (चौधरी चरण सिंह) : श्री सुन्दर सिंह की मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किये गये हैं जब क वह भारतीय शस्त्र अधिनियम के अधीन एक मामले के बारे में, दिल्ली पुलिस की हिरासत में था। यह कहा जाता है कि वह तारीख 24-11-76 को तुगलकाबाद फोर्ट क्षेत्र में ले जाया गया था और उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कुछ शस्त्र तथा गोला बारुद बरामद किये गये थे। दूसरा मामला तारीख 25-11-1976 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 697 के तहत पुलिस स्टेशन कालकाजी, दिल्ली में भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25/26/27/54/59 के अधीन दर्ज किया गया था। बरांमदी के बाद, जब पुलिस दल बहुत सवरे दिल्ली के पूर्वी जिले को वापस आ रहा था तो यह बताया जाता है कि वाहन जिस में श्री सुन्दर सिंह को लाया जा रहा था, का एक पहिया, गीता कालोनी शमशान भूमि के पास पेंचर हो गया था ड्राइवर ने वाहन रोक दिया। दल के दूसरे सदस्य भी ड्राइवर की मदद लिये नीचे उतर आए। बताया जाता है कि श्री सुन्दर सिंह ने लघु शंका के लिये आज्ञा मांगी। लघु शंका के वास्ते हथकड़ियों से उसका एक हाथ निकाल दिया गया। अंधेरे का तथा इस बात का लाभ उठाते हुए कि वह उस समय एक उप निरीक्षक तथा केवल एक कांस्टेबल के संरक्षण में बताया जाता है कि उसने अपने को पुलिस मैन, की पेटी से बंधी चेन से झटका मार करके मुक्त कर लिया। कहा जाता है कि वह नदी की तरफ भाग गया। 25 नवम्बर 1976 को बहुद सवेरे पुलिस को उसका शरीर मिला और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु की जांच करायी गयी। शव परीक्षा मौलाना आजाद कालेज, नई दिल्ली के डा० विष्णु कुमार द्वारा की गयी।

श्री सुन्दर सिंह की मृत्यु की जांच करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरों को कहा गया है। इस सम्बन्ध में 30-3-1977 को आवश्यक अनुदेश जारी किये गये थे। कुछ लोगों द्वारा लगाए गए आरोप कि सुन्दर सिंह की बहन के साथ हरियाणा के एक थाने में बलात्कार किया गया था अथवा उससे छेड़छाड़ की गयी थी, की भी जांच करायी जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको वादविवाद उठाने का अधिकार है। प्रक्रिया के अनुसार आपको मुझे लिखना चाहिये। तब मैं संसदीय कार्य मंत्री से बातचीत करूंगा। यदि सभी सदस्य स्पष्टीकरण मांगने लगे तो कार्यवाही कैसे चल सकती है।

यदि श्री कल्याण सुन्दरम् भी ज्योतिर्मय बसु के ढंग पर चलेगें तो अन्य सदस्य भी उनका अनुकरण करगे। इसलियि आप मुझे लिखें।

चौधरी चरण सिंह : श्री ज्योतिर्मय बसु ने संकल्प की बात कही थी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो कई बातों का उल्लेख किया है। इसलिये आप किसी का भी उत्तर न दें। आप शोर क्यों मचा रहे हैं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सभा की कार्यवाही का संचालन सभापीठ द्वारा किया जाता है, सदस्यों द्वारा नहीं।

समाचार के कार्यकरण की जांच करने के बारे में समिति का गठन करने सम्बन्धी वक्तव्य

STATEMENT RE. APPOINTMENT OF A COMMITTEE TO EXAMINE THE FUNCTIONING OF "SAMACHAR"

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : "समाचार" के गठन तथा इसके कार्यों और इसके भविष्य के बारे में एक कर्तव्य देना आवश्यक समझता हूं, क्योंकि माननीय सदस्यों को यह पता है कि यह समाचार एजेंसी व्यापक आलोचना का विषय रही है।

2. मेरे पूर्ववर्ती ने लोक सभा में 21 जनवरी, 1976 को दिये गये अपने व्यक्तव्य में एक एकल समाचार एजेंसी के गठन का औचित्य ठहराया था और यह कहा था कि सरकार ने यह बात संतोष के साथ नोट की है कि पी० टी० आई०, यू० एन० आई०, हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती के प्रबधंकों ने एक एकल और सशक्त राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के विचार के समर्थन में प्रस्ताव पारित किये हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि इन एजेंसियों के प्रबंधकों ने अपने को एक एकल एजेंसी में विलय करने का प्रस्ताव किया है और सरकार इस प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों से सहायता करने के लिये तैयार रहेगी।

3. "समाचार" नाम से एक सोसायटी का 24 जनवरी, 1976 को पंजीकरण किया गया जिसकी प्रबधं समिति के 12 सदस्य थे और 'हिन्दु' के सम्पादक श्री जी० कस्तूरी इसके अध्यक्ष थे। पहले की चारों समाचार एजेंसियों ने एक फरवरी, 1976 से "समाचार" के नाम से काम करने का निर्णय किया और 2 अप्रैल, 1976 से अपनी परिसम्पतियों और दायित्वों तथा अपने कार्यों एवं व्याक्तयों को "समाचार" को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पास किये। इस पर "समाचार" ने पी० टी० आई०, यू० एन० आई० और हिन्दुस्तान समाचार के शेयर खरीद लिये, जबकि समाचार भारती के शेयर, जो मैसूर, गुजरात, बिहार, राजास्थान और उतर प्रदेश की राज्य सरकारों के पास थे, "समाचार" के अध्यक्ष की प्रार्थना पर "समाचार" को दान स्वरूप दे दिए गए।

4. चारों समाचार एजेंसियों का पूर्ण एकीकरण करने के लिये "समाचार' (क) कर्मचारियों, (ख) दर ढांचा; तथा (ग) प्रशासनिक और उपनियमों पर तीन समितियां नियुक्त की। इन समितियों के अध्यक्ष कमशः श्री आर० पी० बिल्लीमोरिया, जो अब एस० ए० आई० एल० (SAIL) के अध्यक्ष हैं, मैसर्स बेनट कोलमैन एन्ड टाइम्स आफ इंडिया के एसोसिएट जनरल मैनेजर डा० राम एस० तरनेजा, और 'जागरण' कानपुर के प्रबंधक सम्पादक श्री पी० सी० गुप्त थे। व्यक्तियों के एकीकरण से सम्बन्धित समिति की कुछ सिफारिशे 'समाचार' द्वारा पहले ही स्वीकार की जा चुकी है और इसके कर्मचारियों के वेतन मान युक्तियुक्त कर दिये गए हैं और वे एक जुलाई 1976 से एक समान कर दिये गए हैं।

5. मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि मेरे पूर्ववर्ती ने इस सदन में कहा था कि सरकार विलय की प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों से पहले की चारों समाचार एजसियों के प्रबधंकों की सहायता करने के लिये तैयार रहेगी। सरकार ने "समाचार" को दो किस्तों में 50 लाख रुपये का तदर्थ सहायक अनुदान दिया ताकि वह अपनी असन्तोषजनक आर्थिक स्थिति पर काबू पा सके। इसके अलावा, सरकार ने राज्य सरकारों को इस बात के लिये भी राजी किया कि वे समाचार भारती के अपने शेयर 'समाचार' को दान स्वरूप दे दें। सरकार ने 'समाचार' की प्रबंध समिति का नीति सम्बन्धी निणय लेने में भी मार्गदर्शन किया। इस हद तक सोसायटी की स्वायतता अत्यन्त सीमित थी, इसलिये "समाचार" के कार्यकरण के बारे में आलोचनाएं उचित हैं।

7. मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने के लिये बचनबद्ध है। इसमें स्वाभाविक रूप से समाचार एजेंसी की स्वतन्त्रता और स्वायतता भी शामिल है। अत. मैंने विशेषक्षों की एक समति गठित करने का निर्णय किया है जो "समाचार" के भविष्य के बारे में जांच करके एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इस प्रकार की समिति का गठन आवश्यक समझा गया है, क्योंकि "समाचार" को पूर्व क्रयधिकार से भंग करने और इसके पहले की चार समाचार एजेंसियों की स्थिति में आने से कुछ समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं, विशेषकर उन व्यक्तियों के बारे में जिनको एक समान ऊंचे वेतनमान और परिव्यविधयों पर लाया गया है। माननीय सदस्य इस बात पर मुझ से सहमत होंगे कि समाचार एजेंसियों की सरकारी प्रभाव या नियंत्रण से पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चत करते हुए कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की जानी है।

7. जैसा एक माननीय सदस्यों को पता है, "समाचार" एकल समाचार ऐंजसी की हैसियत से गुट निरपेक्ष देशों के समाचार ऐंजसी संगम का सदस्य बन गया है और इसने समाचारों के पारस्परिक आदान प्रदान के लिये गुट निरपक्ष देशों की अनेक समाचार ऐंजसियों के साथ द्विपक्षीय प्रबंध करनें लिये ह। इसके अलावा, भारत को गुट निरपेक्ष देशों के सूचना मंत्रियों के जुलाई 1976 में दिल्ली में हुए सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों के समाचार एजेंसी संगम की समन्वय

समिति का अध्यक्ष चुना गया था। "समाचार" की प्रबन्ध समिति के सदस्य की हैसियत से श्री मोहम्मद यूनुस इस पद पर थे। उन्होंने इस बीच प्रबंध समिति से त्याग पत्र दे दिया है। विशेषज्ञों की समति इस बात की जांच करेगी समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत किस प्रकार कार्य करना जारी रखेगा और सूचना के आदान प्रदान के लिये विदेशी समाचार एजेंसियों के साथ किस तरीके से प्रबन्ध किये जायंगे।

8. फिलहाल, "समाचार" का देश और विदेशों से समाचारों के संकलन और वितरण में पूर्ण एकाधिकार है विशेषज्ञों की समिति इस स्थिति का पुनर्विलोक करेगी और सरकार की नीति, जो संक्षेप में ऊपर बताई गई है, की रोशनी में उपयुक्त सिफारिशें करेगी।

संसद सदस्यों के मकानों के आवंटन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. ALLOTMENT OF ACCOMMODATION TO MEMBERS

पंडित डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : छटी लोक सभा के लिये 400 से अधिक नये सदस्य चुने गये हैं। लोक सभा सचिवालय ने उनके स्थायी निवास की व्यवस्था विट्ठल भाई पटेल हाउस वैस्ट्रन कोर्ट होस्टल, लोधी और रंजीत होटलों में की है।

जिन 84 आवासों का अस्थाई आवॅटन किया गया था उनमें से 60 उन्होंने स्वीकार किये।

आवास उप-समिति का गठन किया गया जोकि बचे हुए सदस्यों को बेरूडम के फ्लेटों के आवंटन पर विचार करेगी। लोक सभा के 216 भूतपूर्व सदस्यों ने अभी तक मकान खाली नहीं किये हैं जिनमें से 30 से 40 सदस्यों ने अधिक अन्य की मांग की है जोकि एक से छः महीने तक की है।

आवास समिति माननीय सदस्यों की संसद भवन के समीप समुचित आवास की कठिनाइयों को अनुभव करती है तथा उन्हें शीघ्र हल करने के लिये सचेष्ठ है। मैं समझता हूं कि भूतपूर्व सदस्यों द्वारा आवास खाली किये जाने पर समस्या का समाधान हो जायेगा।

बहुत से भूतपूर्व मुख्य मंत्री, भूतपूर्व अध्यक्ष आदि इस सभा में चुनकर आये हैं, जिन्हे बड़े बंगलों की आवश्यकता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि और अधिक बंगले दिये जायें ताकि उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस वक्तव्य को बाद में परिचालित किया जायेगा।

संविधान (43 वां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTIONS (FORTY-THIRD AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शाँति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : मैं इस विधेयक के बारे में अपने दल के विचार बताना चाहता हूं। पहले तो यह कहा जा रहा था कि इस विधेयक को केवल पेश किया जाएगा परन्तु अब कहा जा रहा है कि इस पर विचार किया जाएगा। हमारा दल विधेयक के खड 3 तथा 4 के विरूद्ध है। हम नहीं चाहते कि अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी जाए। मैं इस सम्बन्ध में नोटिस देना चाहता हूं।

श्री एम० कल्याणा सुन्दरम् (त्रिचुरापल्ली): यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और हम इसका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह मत उठिए, नियम यह है कि कोई एक सदस्य विधेयक का विरोध कर सकता है।

श्री एम० कल्याणासुन्दरम : लेकिन मैं तो इसका समर्थन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। लेकिन आप इस समय बैठ जाइए। अब कही गई बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री एम० कल्याणासुन्दरम् : ....*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यदि इस तरह सदस्य उठते रहे तो मैं किस प्रकार काम कर सकता हूं। मैंने विपक्षी नेता को बोलने के लिये कहा था। विधेयक को पेश करते समय इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, केवल विरोध प्रकट किया जा सकता है।

श्री शांति भूषण : विपक्षी नेता ने कहा है कि वह खंड 3 तथा 4 का विरोध करेंगे। जब लोकसभा की अवधी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष की गई तो देश में सकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई **(व्यवधान)** लोगों ने अपनी भावनाओं का प्रदर्शन हाल के चुनावों में कर दिया है ...... **(व्यवधान)** इस समय मैं कुछ नहीं कहना चाहता विधेयक पर विचार करते समय मैं इस बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री शांति भूषण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

आयकर अधिकारियों द्वारा ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वयं सेवी एजेन्सियों की संस्था के कार्यालय पर छापा

Income Tax Raid on the Office of AVARI

अध्यक्ष महोदय : अब श्री ज्योतिर्मय बसु मामला उठाएंगे।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पता चला है कि विधेयक पर चर्चा करने के लिये सत्रावधि बढ़ा दी गई है और चर्चा 9 तारीख को होगी। कल "गुड-फ्राइडे" है और हम अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सत्रावधि बढ़ाने के बारे में अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। अतः इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : ग्रामीण विकास स्वैच्छिक एजेंसी संस्था, जिसके अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नारायण हैं, गत 20 वर्षों से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस संस्था के सदस्य लगभग 150 संगठन हैं, जो सारे देश में फेले हुए हैं। उपरोक्त संस्था ग्रामीण विकास के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में अपने सदस्यों की सहायता कर रही है और यह मास्को-लैवल योजनाएं बनाने में भी सहायता करती है।

उपरोक्त संस्था को, विशेषकर इसके अध्यक्ष को अपमानित करने हेतु आयकर विभाग के खुफिया तथा जाँच विभाग द्वारा 5 फरवरी, 1977 को इसके नई दिल्ली स्थित मुख्यालय तथा बिहार में मुजफ्फरपुर और जमई के स्थान पर स्थित शाखा कार्यालयों पर छापे मारे गये। यही नहीं; संस्था के उपाध्यक्ष श्री राधाकृष्ण, महासचिव श्री ए० सी० सेन, लेखाअधिकारी श्री आर० एल० गोयल और उपरोक्त संस्था के लेखा परीक्षण फर्म के एक भागीदार श्री एस० के० नाहरी के घरों पर भी छापे मारे गये। छापे के बाद शाखा तथा मुख्य कार्यालयों की सभी पुस्तकें, सम्बन्धित कागजात आयकर विभाग ने जब्त कर लिये। 'समाचार' ने इस छापे की काफी मशहूरी की और उपरोक्त संस्था के अधिकारियों को यह बताने तक का मौका नहीं दिया गया कि यह संस्था क्या है और किस ढंग से कार्य करती है सभी जब्त दस्तावेज अभी तक आयकर विभाग के पास है।

इसके बाद उपरोक्त संस्था की निधि, जो कि लगभग 45 लाख रुपये है, गृह मंत्रालय के अनुदेशों पर सिंचाई मंत्रालय ने रोक ली। साथ ही कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह अनुरोध जारी कर दिये कि इस संस्था को किसी

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

*Not Recorded.

प्रकार की सहायता न दी जाए। संस्था की सदस्य एजेंसियों तथा अन्य संगठनों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिए गए। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस प्रकार श्री जयप्रकाश नारायण का चरीत्र हनन किया। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि संस्था के ऊपर से यह प्रतिबन्ध शीघ्र ही हटा दिए जाएँगे।

श्री ए० सी० जार्ज : कल गुड फ्रइडे है। आशा है 'संदन' अल्पसख्यकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमें यह उत्सव मनाने का अवसर देगा। सत्रावधि के बढ़ाने के बारे में श्री पजनौर द्वारा कही गई बात का मैं समर्थन करता हूं।

श्री अरविन्द वाला पजनौर : 'गुड फ्राइडे' के अवसर पर हम अपने अपने निर्वाचनक्षेत्रों में जाना चाहते हैं। हमारी धारना है कि आज सदन अनिश्चित काल के लिए उठ जाएगा। परन्तु ऐसा न हो कि आज 6 बजे यह घोषणा कर दी जाए कि सत्रावधि बढाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री वक्तव्य देंगे कल हुई विमान दुर्घटना के बारे में मैं मंत्री महोदय से वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं। इस बीच गृह मंत्री श्री बसु के प्रश्न का उत्तर देंगे।

श्री ए० सी० जार्ज : हम बसु की बात को सुन नहीं सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु एवं मंत्री महोदय के वक्तव्यों को परिचालित किया जाएगा।

श्री वसन्त साठे (अकोला) . मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 377 में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई सदस्य कोई मामला उठाना चाहता है तो उसे उसकी लिखित सूचना लोक सभा के महासचिव को देनी होगी। इस मामले में कोई सूचना नहीं दी गई। मामला सदन में अभी अभी उठाया गया था। उसका उत्तर गृह मंत्री ने कैसे तैयार किया। लगता है कि सदस्य एवं मंत्री महोदय की यह आपसी व्यवस्था थी।

अध्यक्ष महोदय . नियम में कहा गया है कि नोटिस अध्यक्ष को दिया जाएगा और ऐसा ही किया गया। उसकी एक प्रति गृह मंत्री एवं महासचिव को दी गई और विषय को कार्यसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार नियमों का पूरी तरह पालन किया गया।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 377 के अन्तर्गत उठाए गए प्रश्न के उत्तर में मंत्री वक्तव्य नहीं दे सकता। प्रक्रिया यह है कि सदस्य वक्तव्य देता है और यह वक्तव्य महासचिव मंत्री महोदय को भेज देता है और उसके बाद मंत्री नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य देता है।

श्री एम० कल्याणासुन्दरम् : मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि मंत्री महोदय ने सदस्य द्वारा उठाए गए मामले के उत्तर में तुरन्त ही वक्तव्य दे दिया। लेकिन मैंने भी तमिलनाडु में हुई रेल दुर्घटना के बारे में नोटिस रेल दुर्घटना के बारे में दिया था। मैंने जब यह मामला उठाया .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इस बारे में वक्तव्य दिया था। यदि आप इस पर चर्चा चाहतें हैं तो इस पर चर्चा की जा सकती है।

श्री श्यामनंदन मिश्र : जहां तक इस व्यवस्था के प्रश्न का सवाल है, जब भी कोई सदस्य नियम संख्या 377 के अन्तर्गत मामला उठाता है तो वह सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता है। गत सरकार ने यह परम्परा बना ली थी कि नियम 377 के अन्तर्गत प्रकट किये गये विचारों को ध्यान में न रखा जाए। यदि सरकार इन विचारों को ध्यान में रखकर वक्तव्य दे दे तो यह सरकार के लिये अच्छी बात होगी अन्यथा नियम 377 के अन्तर्गत प्रगट किये गए विचारों का कोई लाभ नहीं।

गृह मन्त्री (चौधरी चरण सिंह) : मैं वक्तव्य देना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन . जहां तक व्यवस्था का प्रश्न का सवाल है, जब भी कोई सदस्य नियम संख्या 377 के अन्तर्गत मामला उठाना चाहता है, तो वह सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता है। लेकिन गत सरकार ने नियम 377 के अन्तर्गत व्यक्त विचारों की उपेक्षा करने की परम्परा बना ली थी। हम चाहते हैं कि सरकार नियम 377 के अन्तर्गत प्रकट किये गय विचारों पर ध्यान दे। मैं व्यवस्था के इस प्रश्न पर आपका विनिर्णय चाहता हूं क्योंकि नियम 377 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा उठाए गये मामले के बारे में मंत्री द्वारा तुरन्त वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 स्पष्ट है। मंत्री महोदय द्वारा तत्काल उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। बकतव्य बाद में दिया जा सकता है।

श्री एम० कल्याणासुन्दरम् : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 377 सदस्य को दिया गया एक विशेषाधिकार है जिसके अन्तर्गत सदस्य अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाता है। मैंने रेलवे हड़ताल के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस दिया था। मैं आपसे और संसदीयकार्य मंत्री से भी मिला था। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। **(व्यवधान)** सब सदस्यों के साथ एक सा व्यवहार किया जाना चाहिये।

आंध्र प्रदेश में ओंगोल के निकट नैशनल रिमोट सैंसिंग एजेन्सी के विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. CRASH OF AN AIRCRAFT OF NATIONAL REMOTE SCURING AGENCYY NEAR ONGOLE, ANDHRA PRADESH

The Minister of Tourism and Civil Aviation(Shri Purushottam Kaushik): It is with profound grief that I rise to inform the House about the grim tragedy that overtook a DC-3 aircraft belonging to National Remote Sensing Agency attached to Department of Science and Technology.

A DC-3 aircraft VT-EEL belonging to National Remote Sensing Agency departed from Madras at 0615 IST on 5th April 1977 for a survey flight south east of Maraka Pur and crashed in a village near ONGOLE in Andhra Pradesh on 5th April, 1977. Five members of crew and five persons belonging to National Remote Sensing Agency were reported to have been killed.

Shri M. M. Chawla, Controller of Air Safety, Bombay has been detailed by the Directorate General of Civil Aviation to proceed to the site of crash for investigation.

The House will share my deep sense of shock and profound sorrow and join me in expressing sympathies to the bereaved families. The Department of Science and Technology have sanctioned an ex-gratia payment of Rs. 5,000.00 each to the bereaved families.

नियम 377 के अधीन मामले–(जारी)

MATTERS UNDER RULE 377—Contd.

लोक सभा के चुनावों में हुए कदाचारों के बारे में शिकायतें।

श्री श्यामानन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैंने नियम 377 के अधीन सूचना दी है और मुझे सूचित किया गया है कि मुझे आज बोलने का अवसर दिया जायेगा।

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : सत्रावधि बढ़ाने के बारे में कई प्रश्न उठाए गए हैं। इस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है और कार्यसूची में दिये गये विषयों पर आज चर्चा पूरी कर ली जाएगी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : चुनावों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। बेगुसराय में तीन उच्चाधिकारियों ने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा कि मतदान केन्द्रों पर कब्जा कर लिया जाए। बेगुसराय के सोनापुर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान पेटियां छीन ली गई लेकिन कोई जांच नहीं की गई।

सचमुच समाज विरोधी तत्व मतदाताओं को धमका रहे थे और मतदाता केन्द्रों पर कब्जा कर रहे थे। सरकार नें अपना सारा काम इन सशस्त्र समाज-विरोधी गिरोहों के पक्ष में रोक दिया था। मतपेटियों को छीन कर ले पाने या उनमें जाली मतपत्र डालने के बारे में निर्वाचन आयोग को भी सूचना दे दी गई थी। लेकिन किसी नें भी इस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस संसदीय चुनाव क्षेत्र में लगभग 150 मतदान केन्द्रों पर कब्जा कर लिया गया था। पड़ौस के बलिया चुनाव-क्षेत्र में तो स्थिति इतनी अधिक खराब हो गई थी कि वहां गोली चलाने के परिणामस्वरूप 6 व्यक्ति मारे गये। पश्चिम बंगाल में डमडम तथा बैरकपुर में भी ऐसी ही घटनायें घटने के ज्वलंत उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में अमेठी में और केरल में कई क्षेत्रों में ऐसी ही घटनायें हुई हैं। बांका में जनता पार्टी के विपक्षी प्रत्याक्षियों ने 15 से 20 मतदान केन्द्रों को लूटा। स :कार को इस मामले की पूर्ण जांच करनी चाहिये तथा कारगर कदम उठाने चाहिये ताकि भविष्य में ऐसी घटनायें फिर न होने पायें।

संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) विधेयक

PARLIAMENTARY PROCEEDINGS (PROTECTION OF PUBLICATION BILL

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 18 को लेते हैं।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि संसद के कार्यवाही वृत्तांन्तों के प्रकाशन का संरक्षण करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

आपात-स्थिति के दौरान प्रैस की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाने वाले तीन विधान पास किये गये थे। इनमें पहला था आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम; दूसरा था संसदीय कार्यवाही के वृत्तान्त को प्रकाशित करने में रोक लगाने वाला कानून; और तीसरा था प्रेस परिषद अधिनियम, जिसका निरसन कर दिया गया है। पहले कानून का तो पहले ही निरसन कर दिया गया है। अब हम दूसरे पर विचार कर रहे हैं। संसदीय कार्यवाही वृतान्त को प्रेस में प्रकाशित करने की छूट सम्बन्धी कानून स्वर्गीय श्री फिरोज गांधी द्वारा लाया गया था। इसे संसद ने 1956 में पास किया था। तब से 1976 तक प्रेस में किसी ने इसका दुरुपयोग नहीं किया था। लेकिन उस अधिनियम का निरसन करने वाले विधेयक के उद्देश्य और कारण बताने वाले विवरण में सम्पूर्ण प्रेस समुदाय पर आरोप लगाये गये। अब हम उस स्थिति को समाप्त कर मूल स्थिति फिर से लाना चाहते हैं।

निरसन विधेयक पर चर्चा करते समय यह कहा गया था कि इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार का बार बार तथा सुव्यवस्थित ढंग से दुरुपयोग किया गया है। तथा गत तीन वर्षों में इस दुरुपयोग से स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। किन्तु हमारी सरकार हमसे पूर्णत: असहमत है। संसद द्वारा पास किये गये पहले विधेयक में व्यवस्था है कि प्रकाशन पर्णत: सच और सही तथा जन-हित में होना चाहिये। यह किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करने या व्यक्तिगत बैर की भावना से उससे बदला लेने की दृष्टि से नहीं होना चाहिये। फिर किसी बदनीयत से भी इसका प्रकाशन नहीं होना चाहिये। इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय हमने उन उपबधों को मूल रूप में रखा है। मूल विधेयक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आशा है यह विधेयक सर्व सम्मति से पास किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संसद के कार्यवाही वृत्तान्तों के प्रकाशन का संरक्षण करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

पूर्णनारायण सिन्हा (तेजपुर) : मैं तेजपुर से आता हूं जो भारत-चीन सीमा पर स्थित है। तेजपुर को 1962 में चीन के आक्रमण से खतरा पैदा हो गया था। सरकार को उस समय तेजपुर से अपने प्रशासन को हटाना पड़ा था। किन्तु हम वहां से नहीं हिले और हमने उस समय लोगों के मनोबल को ऊंचा उठाने की कोशिश की।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

आपात-स्थिति के दौरान प्रैस का बहुत दमन किया गया है। आसाम जैसे पिछड़े क्षेत्र में भी, जहां एक-दो समाचार पत्र ही हैं तथा कुछ ही लाख पाठक हैं, आपात-स्थिति के दौरान समाचार-पत्रों में समाचारों के प्रकाशन पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये थे। खेद है कि एक कांग्रेसी की शानदार शादी के बारे में एक समाचार अपने अखबार में प्रकाशित करने पर मुझे सरकार ने जेल में डाल दिया था, क्योंकि सत्ताधारी दल के लिये वह आक्षेपणीय समाग्री समझी गई थी। संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित उपबन्ध का आपात-स्थिति के दौरान खुले रूप से उल्लंघन किया गया है। संतोष का विषय है कि अब सरकार न ऐसे काले कानून का निरसन करन के लिये कदम उठाया हैं। अत: मैं फिरोज गांधी अधिनियम के सिद्धान्तों और उद्देश्यों को फिर से स्थापति करने वाले इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जे० रामेश्वर राव (महबूबनगर) : मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन जब संसदीय कार्यवाही क प्रकाशन को संरक्षण दिया जाता है तो समाचार-पत्रों की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे समाचारों को सही रूप में प्रकाशित करें। जहां सरकार को संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन पर सैंसर नहीं लगाना चाहिये वहां प्रैस या प्रैस के मालिक को किसी सदस्य द्वारा संसद में कही गई किसी बात को तोड़-मरोड़ कर या उसे काट-छांट कर प्रकाशित नहीं करना चाहिये। संसद में दिये गये वक्तव्यों को प्रकाशित करने में सन्दर्भ से नहीं हटना चाहिये अथवा जानबूझ कर गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिये ; अन्यथा इसे इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग ही समझा जायेगा।

विधेयक में एक त्रुटि है। सदन में किसी भी सदस्य को किसी के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार है। यदि वही बात कोई सदस्य सदन के बाहर कहे तो उस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। किन्तु यदि प्रैस को इस बात की छूट हो कि सदन में कही गयी बात को अखबार में उद्धृत किया जा सकता है तो सदन में

कही गयी मानहानि वाली बातें भी अखबारों में छापी जा सकती हैं किन्तु जिसके विरुद्ध ये बातें प्रकाशित की गयीं हैं उसे कोई संरक्षण नहीं होगा। इस प्रकार से किसी भी निर्दोष व्यक्ति को ब्लैकमेल किया जा सकता है।

सरकार को इस विषय पर प्रकाश डालना चाहिये कि इस विशेषाधिकार के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है फिर भी मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करता हूं।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये मध्याह्न पश्चात् दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद दो बजकर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at four minutes past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण विधेयक–जारी

PARLIAMENTARY PROCEEDINGS (PROTECTION OF PUBLICATION BILL—contd.

Shri Laxmi Narain Nayak (Khajuraho): Mr. Deputy Speaker, I rise to support this Bill. The Congress Government, by enacting a law which prevented the authentic reporting of the views expressed by a Member of Parliament on the floor of the House, has done a great harm to the democratic process in the country. The outgoing Government had withdrawn the freedom of expression by imposing restrictions on the publication of views on important Bills and resolutions as expressed by Members, which were very important for the people. It was a great blow to the rights of people. It appears the Government intended to cover up their misdeeds and unfair activities. It was unwarranted to enact such a law. It is a matter of great satisfaction that Janata Party Government now proposed to repeal that enactment. I, therefore, support this Bill.

श्री बयालार रवि (चिरायिन कील) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। संसद सर्वोच्च है संसद में क्या होता है, इसका जनता को पता होना चाहिये।

मूल कानून में आपात स्थिति के दौरान परिवर्तन कर दिए जाने के बाद संसद का कार्यवाही वृत्तान्त सदन के बाहर जनता के सम्मुख उचित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। परिवर्तित अधिनियम से एकाधिकार गृहों, शोषकों तथा बहु-राष्ट्रिकों को ही लाभ हुआ और वे सार्वजनिक आलोचना से बच गये। स्वर्गीय श्री फिरोज गांधी द्वारा लाये गये मूल अधिनियम का आपात-स्थिति में निरसन कर दिया गया। लेकिन संसद में कही गई बात या व्यक्त किए गए विचारों की जनता को जानकारी होनी ही चहिए तथा उसे अपना मत निर्धारण करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

आपात स्थिति के दौरान अनेक अधिकारियों ने भले ही कुछ कार्य किये हों लेकिन उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये क्योंकि हो सकता है उन्होने वह कार्य राजनीतिक निदेश के अन्तर्गत किया हो। इसलिये उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये। यदि आप अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तो इससे प्रशासन का मनोबल गिर जायेगा। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जिन्होंने आपातस्थिति के दौरान कुछ ज्यादतियां की हैं क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने वह कार्य राजनीतकि निर्णय के फलस्वरूप किया हो।

यह विधेयक देश के लिये अच्छा है क्योंकि लोगों को यह पता होना चाहिये कि सभा में क्या हो रहा है। मैं मंत्री महोदय को इस विधेयक के लाने के लिये बाधाई देता हूं।

Shri Keshavrao Dhonage Nanded: I rise to congratulate the Minister for bringing forward this Bill. Though Parliament has been called supreme, yet restrictions were imposed on the publication of views expressed by

Members on the floor of the House. It is against all the norms of democracy. This Bill will restore the freedom to the Press to publish the proceedings of Parliament.

The recent general elections have proved that people do not support the policies of the previous Government. It is a matter of satisfaction that the present Government propose to scrap all such black laws. People have every right to know what their representatives say in Parliament. Hence, I support this Bill.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : इस सभा में अपने दुष्कर्मों के पर्दाफाश होने के भय से पिछली सरकार ने संसद और जनता के बीच एक खाई खोद दी। उस सरकार ने प्रतिनिधियों और जनता के बीच पर्दा डालना चाहा ताकि यक की बात जनता तक न पहुंच ने पाये। एक व्यक्ति तथा एक परिवार की स्थिति मजबूत करने के लिये सभी लोकतंत्रत सिद्धान्तों को ताक पर रख दिया गया।

फीरोज गांधी अधिनियम, जिसे 1956 में कांग्रेस का पूर्ण समर्थन मिला था, कांग्रेस सरकार द्वारा 1975 में समाप्त कर दिया गया। उस सरकार ने जनता के भारी बहुमत के आधार पर सभी क्रूर कानूनों को उचित बताया। प्रत्येक कार्य को संसदीय सर्वोच्चता के नाम पर उचित ठहराने का प्रयास किया गया। उस सरकार के अनुसार संसदीय सर्वोच्चता एक व्यक्ति विशेष की सर्वोच्चता थी जिसका चुनाव हर कीमत पर न्यायोचित माना जाना चाहिये। एक ओर प्रत्येक बात जनता के नाम में की जाती थी लेकिन दूसरी ओर उन्होंने जनता को धोखा दिया। जनता ही तो अपना वास्तविक लक्ष्य थी। जनता की स्वतंत्रता और आजादी समाप्त कर दी गई। जन प्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। उस सरकार ने संसदीय सर्वोच्चता की संकल्पना को केवल दिखावटी सहानुभूति दी।

एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि फीरोज गांधी अधिनियम ने प्रेस को अनुचित स्वतंत्रता या संरक्षण प्रदान नहीं किया है। इस कनून से संसदीय कार्यवाही के प्रकाशकी को सीमित अथवा सापेक्ष विशेषाधिकार ही मिला है सम्पूर्ण विशेषाधिकार नहीं। समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार सही और सच होने चाहियें और उनका प्रकाशन जनहित में तथा बिना किसी दुर्भावना से होना चाहिये।

संसदीय कार्यवाही वृत्तान्त के उचित प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाकर पिछली सरकार ने जनता का गला दबा दिया है। वार्तालाप ही समाप्त कर दिया गया था। देश में वर्तमान कानूनों से त्रुटिपूर्ण पत्र या किसी त्रुटिपूर्ण-पत्रकार को सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। ऐसे क्रूर कानून इस प्रयोजन के लिये नितान्त अनावश्यक हैं। अतः वर्तमान विधेयक जो फिरोज गांधी अधिनियम को पुनः जीवित करने के लिये लाया गया है अत्याधिक सराहनीय है।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुक्की) : हाउस आफ कामन्स अथवा इस संसद का यह विशेषाधिकार रहा है कि संसद में जो कुछ होता है उसको छापने की छूट होती है। 20वीं शताब्दी के आरम्भ तक हाउस आफ कामन्स के भाषणों और कार्यवाही को छापना विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाता था। 1909 में संसद द्वारा पास किये गये एक अधिनियम के बाद स्थिति में परिवर्तन आया तथा बाद में संसद ने इसके प्रकाशन की अनुमति देने सम्बन्धी एक कानून बना दिया। इसलिये संसद की कार्यवाही छापे जाने में विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि कार्य वाही वृत्तान्त को छापना संसदीय विशेषाधिकार का एक भाग नहीं है। परन्तु जनता की भलाई के लिये इसे प्रकाशित किया जाना चाहिये।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सत्ताधारी दल वास्तव में किसको सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। वे राजनीतिज्ञ नहीं हैं। इन दोनों ही वर्गों को अन्य विधानों के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। अतः वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिये जो उपयुक्त वर्गों में न आये और जिसे सत्ताधारी दल लक्ष्य बनाना चाहे। इसलिये विशेषाधिकार के प्रश्न को इसमें लाया गया है।

यहां पर संसद होने के नाते हमें छूट मिली हुई है। आप किसी के विरुद्ध आरोप लगा सकते हैं आपको कोई रोकने वाला नहीं है और यह बात संसद की कार्यवाही वृत्तान्त में छप सकती हैं। परन्तु यदि समाचार पत्रों में छपती है तो व्यक्ति विशेष को किस प्रकार संरक्षण प्राप्त हो सकता है? उस व्यक्ति को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है, वह कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। क्या इस प्रकार की स्थिति की अनुमति दी जायेगी? क्या इसे बढ़ावा दिया जाना है? क्या इससे सर्व साधारण का भला होगा? मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 353 की ओर अकर्षित करना चाहता हूं। इसके अंतर्गत "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच करा सके।"

मंत्री महोदय क्या जांच करेंगे और किस प्रकार व्यक्ति की रक्षा हो सकती है। सुरक्षा का एक मात्र साधन याचिका समतिनि। समिति जांच करती है निष्कर्ष देती है लेकिन इसे प्रकाशित कराने की कोई परवाह नहीं करता।

मुझे सन्देह है कि इस विधेयक के पास होने से जनता का कुछ भला होगा। इसके विपरीत बहुत से लोग बदनाम किए जाएंगे और व्यक्तियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें जन साधारण और सामान्य लोगों को बिना किसी दोष के बिना प्रचार से बचाना चाहिये। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर और आवश्यक सुरक्षा प्रदान करे।

Shri Ramjee Singh (Bhagalpur): This Act which is sought to be repealed has not only hit the freedom of press but has also adversely affected the freedom of the Members of this House. This Act created a barrier between the people and their representatives. This barrier will now be removed with the passage of this Bill.

Some members have said that the proceedings of the House can be misreported with some ulterior motive in view. A few instances have also been cited. If that happens, we have other laws which can be invoked and the erring journalists can be brought to book. But whatever we say in Parliament should be reported outside; only then our voters will know if we are really doing our duty towards them.

It has been said that this Act can be misused for slandering certain individuals who are not present in the House. This is not correct. Our people are wise enough to distinguish between true and false.

It is also wrong to say that the press in India is not responsible. The Indian press is quite responsible and has behaved in a responsible manner. Therefore, putting curbs on its freedom is highly unjustified.

It is a matter of gratitude that the members of opposition party have supported this Bill. I wish they had supported it openly.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कक्षानोर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आपात स्थिति लागू होते ही सरकार ने दो घृणित विधेयक पास किए। पहला था फीरोज गांधी अधिनियम को निरसित करना और दूसरा आक्षेपणीय समाग्री प्रकाशन अधिनियम। मेरे दल ने इन विधानों का विरोध किया था क्योंकि इससे समाचारपत्रों को अपनी जिम्मेदारी निभाने से रोका गया। लोकतंत्र में संसद की कार्यवाही को जनता से छिपा कर नहीं रखा जाना चाहिये। लोकतांत्रिक प्रणाली में यह सर्वथा आवश्यक है कि जनता को यह पता चले कि संसद में क्या हो रहा है तथा समाचारपत्र उसे लोगों तक पहुंचा सके।

माननीय सदस्य श्री स्टीफन ने कहा है कि पुराने जमाने में ब्रिटिश संसद की कार्यवाहियों का प्रकाशन विशेषाधिकार का मामला समझा जाता था। उन दिनों में ऐसा लोकतंत्र नहीं था। आज यदि संसद में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं करते तो जनता अगले चुनावों में कभी उन्हें अपना मत नहीं देगी कोई भी सदस्य पुनः चुने जाने के योग्य है अथवा नही इसक ठीक ठीक पता केवल समाचार पत्रों के द्वारा ही लग सकता है संसद में क्या हो रहा है इस बारे में समाचारपत्रों को जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। समाचार पत्रों का यह अधिकार फिरोजगांधी अधिनियम को निरसित कर पिछली सरकार ने छीन लिया। संसद और संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा को बचाने के नाम पर देश में संसद में होने वाली कार्यवाही से अनभिज्ञ रखा गया। देश की जनता यह बात अच्छी तरह से समझती है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद को किस प्रकार कार्य करना चाहिये और संसद सदस्यों की जिम्मेदारी क्या होती है। यह विधेयक जन प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता से अपने विचार प्रकट करने और प्रैस को बिना किसी भय के इसे छापने के लिए उचित अधिकार देता है।

श्री स्टीफन ने कहा है कि प्रैस की सुरक्षा के लिए अन्य कानून भी हैं किन्तु वे पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र में यदि प्रैस को हर वक्त यह भय बना रहे कि कहीं उसने कोई मानहानिकारक मामले का उल्लेख तो नहीं कर दिया तो भ. ख्याल में प्रैस अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से निभा नहीं पाएगा लोक तंत्र में प्रैस को यह भय नहीं होना चाहिये। इसी लिए हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

प्रैस वालों से यह भी बात सुनने में आई है कि लोक सभा सचिवालय संसद की कार्यावाहियों के प्रकाशन के मामले में प्रैस वालों पर प्रायः कई प्रतिबंध लगाता रहता है। मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिये।

मैं मंत्री महोदय को इस विधेयक को पेश करने पर बधाई देता हूं।

श्री पी० सी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं मंत्री महोदय को यह विधेयक पेश करने पर बधाई देता हूं, स्वर्गीय फिरोज़ गांधी ने पहले इस विधेयक को पेश किया था लेकिन पिछली सरकार ने प्रैस का गलाघोंट कर सच्चाई को जनता तक पहुंचने नहीं दिया। आज प्रैस को फिर से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। आज फिरोजगांधी की आत्मा प्रसन्न होगी कि पुनः इस विधान को संविधि पुस्तिका में रखा जा रहा है।

पिछली सरकार ने इस विधेयक को बड़ी शीघ्रता से पास किया था। उन्होंने इस संबंध में विपक्ष के विचारों की परवाह नहीं की। इससे जनता और संसद के बीच दीवार खड़ी हो गई क्योंकि समाचारपत्रों का गला घोंट दिया गया। यह प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान सूचना और प्रसारण मंत्री ने उस गलती को अब सुधार दिया है।

संसद में हम जनता के हित और लाभ पर चर्चा करते हैं। यह जनता को पता चलना चाहिए और जनता को अपनी बात हमे बतानी चाहिए ताकि हम सरकार की जनाकारी में उसे ला सकें। हम जनता के 'वाचस्पति' हैं उनके प्रतिनिधि हैं। यदि जनता को यह नहीं बताया जाता कि प्रवक्ता ने क्या कहा तो इस प्रभुसत्ता संम्पन्न संसद को रखने का क्या लाभ।

इस अवसर पर मैं उन गुप्त और प्रत्येक्ष पत्रिकाओं और पत्रों को बधाई देता हूं चिन्होंने संसद के संदेश को आपातस्थिति के अन्धकारमय दिनों में जनता तक पहुंचाया इनमें कुछ है दिल्ली और कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले स्टेट्समैन, मेनस्ट्रीम साप्ताहिक, फ्रीडम फर्स्ट, बम्बई का जनता साप्ताहिक, गुजराती के पत्र भूमि पुत्र, निरीक्षक और प्रबुद्ध, मराठी के मराठी मानस साप्ताहिक, कर्तव्य आदि। इन पत्रों ने फिरोज़ गांधी अधिनियम के निरसित होने के बावजूद अपना काम जारी रखा।

संसद के भीतर तथा प्रैस के जरिए संसद के बाहर वाद-विवाद जारी रहना चाहिए। हम श्री आडवानी और जनता पार्टी के आभारी हैं कि उन्होंने बुरे अधिनियम का निरसन हेतु एक विधेयक पेश किया है मैं श्री अडवानी को इसके लिए एक बार फिर बधाई देता हूं।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। हमारे दल के नेता श्री चव्हाण ने यह स्वीकार किया है कि आपातस्थिति के दौरान कुछ ज्यादतियां हुई इसीलिए जनता ने कांग्रेस के विरुद्ध अपना वोट दिया। सत्तारुढ़ दल के सदस्य पिछले कुछ दिनों से अपनी बहादुरी का बखान कर रहे हैं लेकिन अब इन बातों को बार बार दोहराने का क्या लाभ है।

फिरोज गांधी अधिनियम लोकतंत्र में समाचार पत्रों को स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। इससे अनुच्छेद 105(2) के अन्तर्गत संसद को मिले विशेषाधिकार की पूर्ति होती है। मुझे नहीं पता कि यह विधेयक श्री फिरोज गांधी को आदर देने अथवा श्रीमती गांधी का अनादर करने के लिए लाया गया है। लेकिन सत्तारूढ़ दल का रिश्ता फिरोजगांधी से फिरोजगाधी अधिनियम को पुनः जारी करने मात्र से समाप्त नहीं हो जाता। इसी सदन में श्री फिरोज़गाधीं ने मुन्धरा मामले की जांच के लिए अपील की थी और छागला आयोग की नियुक्ति की गई और जिन विभिन्न व्यक्तियों के नाम छागला आयोग ने लिए उनमें श्री एच० एम० पटेल भी थे जोकि वर्तमान वित्त मंत्री हैं।

मार्क्सवादी दल के एक माननीय सदस्य ने देश में प्रेस की जिम्मेदारी के संबंध में बहुत कुछ कहा है। मैं उन्हें 1969 की याद दिलाना चाहता हूं जब पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार थी और मार्क्सवादी दल के युवकों ने आनन्द बाज़ार पत्रिका के कार्यालय में घुस कर उधम मचाया था।

वे लोकतंत्र की बात करके नक्सलवादियों के छोड़े जाने का बात कह रहे थे। क्या वे यह भूल गए कि पश्चिम बंगाल क तत्कालीन गृह मंत्री ने नक्सलबादी आन्दोलन को दबाने के लिये कवि वल्लभपुरा और दवरा मैं पूर्वी सीमा राइफल्स के जवानों को भेंजा था।

जैसा कि मैंने कल कहा था यह विधेयक भी कल के विधेयक के समान आपात स्थिति का ही परिणाम है। अतः अब इसे निरसित किया जाए। और फिर अब इसकी आवश्यकता भी नहीं रह गई क्योंकि जिन सदस्यों के डर से इसे लागू किया गया था वे अब सत्ताधारी दल में बैंठे हैं। वे लोग अकसर सभा की कार्यवाही में बाधा डालते थे। यदि मैं भी ऐसा ही करूं तो सभा में कोई वैधानिक कार्य न हो।

मैं यह आशा करता हूं कि दोनों ही पक्ष के लोग सभा की गरिमा को बनाए रखेंगे और सच्चे जन-प्रतिनिधि साबित होंगे।

हमें अमरीका या इंग्लैण्ड के लोकतंत्र की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें भारतीय ढांचे के लोकतंत्र की स्थापना करनी है।

यह अच्छा है कि अब समाचार पत्र स्वतन्त्र रूप से संसद में जो होता है उसे छाप सकते हैं। परन्तु जैसा कि मैंने कल कहा था पूंजीवाद के अन्तर्गत समाचारपत्र स्वतंत्र नहीं हो सकते। मैंने कल जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की बात कल कही थी परन्तु किसी भी पत्र ने इसे नहीं छापा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि समाचार पत्रों क स्वामित्व का विस्तार किए बिना उनको वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने जो पहले दो विधान पेश किए उन्हें सभी सदस्यों ने एक मत से समर्थन दिया परन्तु कुछ सदस्यों ने एक-दो कमियों का जिक्र किया है।

श्री स्टीफन ने कहा कि इस छूट से सदन के बाहर के लोगों का अहित होगा। जबकि श्री सौगत राय ने दूसरी ही बात कही कि जूट मिलों और पूंजीपतियों आदि के विरुद्ध किसी सदस्य द्वारा कही गई बातों को नहीं छापा जाएगा।

श्री एस० डी० पाटिल पीठासीन हुए।

Shri S. D. Patil in the chair.

उनके यह आरोप सर्वथा निराधार हैं। मंत्रियों के विरुद्ध कही गई सभी बातें छपती हैं। आज भी कल के समान वही तर्क दिया गया है कि यह विधेयक आपात स्थिति का परिणाम है। परन्तु मेरा भी यही कहना है कि इन दोनों विधेयकों का आपात स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह तो पिछली सरकार द्वारा समाचारपत्रों पर अपना नियंत्रण रखने के लिए लाए गये थे। लोकतंत्र के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। भूतपूर्व सरकार समाचारपत्रों पर सदैव के लिऐ प्रतिबन्ध लगाना चाहती थी जबकि ऐसे प्रतिबन्ध सामान्यतः आपात स्थिति में ही लगाए जाते हैं।

यह कहा गया कि हमें अपनी ही लोकतांत्रिक परम्पराओं को अपनाना चाहिए किसी अन्य देश की नहीं। मे भी इस बात को स्वीकार करता हूं। परन्तु गत कुछ समय में जो हुआ वह हमारी परम्परा नहीं है हमारी परम्परा तो बड़ी महान रही है। मेरा सर निश्चय ही उसका जिक्र आने पर शर्म से झुक जाता है। मैं तो उसे भारतीय लोकतंत्र का एक अंग भी नहीं मानता और उसे हमेशा के लिए भूलना चाहता हूं। परन्तु यदि फिर भी विपक्षी नेता उसे उतना ही महत्व देते है तो मुझे खेद हैं।

आपातस्थिति के दौरान संसद की कार्यवाही को सेंसर किया गया और उसे प्रकाशित नहीं होने दिया गया। ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं सुना गया। लोकतंत्र का आधार जन मत है और उसे प्रचारित करने का सबसे बड़ा साधन लोक सभा है। जनता के प्रतिनिधि यहां विद्यमान है और यहां प्रकट किए गये विचार जनता के विचार हैं। यदि हम आपस में ही बात करना चाहते है जिसे प्रेस गैलरी और दर्शक गैलरी में बैठे कुछ लोग ही सुनें और बाहर दुनियां में उसे कोई न जाने तो लोकतंत्र स्वस्थ रूप में काम नहीं कर सकता। जनता को यह अधिकार है कि अन्दर क्या कहा गया वह उसे जाने।

जनता सरकार का जनता, लोकतंत्र के प्रत्येक अंग, समाचारपत्रों, न्यायपालिका और संसद में विश्वास है। यदि हम गत 20 महीनों में बनाये गये कानूनों की ओर देखें तो पता चलेगा कि सरकार ने न्यायपालिका और संसद को धोखा दिया। भूतपूर्व सरकार ने अपने दल पर भी विश्वास नहीं किया। परन्तु यह विधेयक इसी तथ्य के कारण लाया गया है कि हमें जनता, प्रैस और न्यायपालिका में विश्वास है।

हमनें पहली बार प्रधान मंत्री के भाषण के बाद विपक्ष के नेता को रेडियो पर राष्ट्र को सम्बोधित करने का निमंत्रण दिया है। इस प्रकार हमनें अपने विश्वास को कार्य रूप दिया है क्योंकि जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा मात्र कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को पूरा समर्थन देने के लिए सदस्यों का धन्यावाद करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि संसद के कार्यवाही वृतान्तों के प्रकाशन के संरक्षण करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। इनके सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड २ से 4 विधेयक में जोड़े दिए गए

CLAUSES 2 TO 4 WERE ADDED TO THE BILL

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 1 को लेता हूं । श्री समर गुह उपस्थिति हैं।
श्री लखन लाल कपूर

Shri Lakhan Lal Kapoor (Purnea): My amendment is this that it should be made applicable from 8th December, 1975, so that the persons who have been affected by the previous act may be saved.

Shri L. K. Advani: It will not benefit anybody because in those days press censorship was there.

सशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

THE AMENDMENT WAS, BY LEAVE, WITHDRAWN

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये

CLAUSE 1, ENACTING FORMULA AND TITLE WERE ADDED TO THE BILL

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वयं सेवी एजेन्सियों तथा कुछ अन्य संगठनों के विरुद्ध जांच के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. ENQUIRIES AGAINST AVARD AND SOME OTHER ORGANISATIONS

गृह मंत्री (चौधरीचरण सिंह) : एसोसिएशन आफ वालंटरी एजेन्सीज फार रुरल डेवलपमेंट, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी के विरूद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर आयकर विभाग न जांच शुरु की लेकिन जांच पूरी होने से पहले 31 जुलाई, 1976 को सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य के प्रशासनों तथा सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए कि वे इन संगठनों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता न दें ।

यद्यपि जांच कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है हमें आयकर अधिकारियों से एक अंतरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उस में कहा गया है कि आयकर कानूनों के उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त कानून है अतः उपरोक्त

संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत: इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों को वापिस लिया जा रहा है और आयकर अधिकारियों से कहा गया है कि जांच के परिणामस्वरुप वह कानून के अंतर्गत जो भी कार्यवाही उपयुक्त समझें करें सरकार को जो अंतरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उसमें कहा गया है कि इन संस्थाओं की निधि का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों हेतु नहीं किया गया।

काफी, मूंगफली की गिरी, छिलका सहित मूंगफली तथा इलायची के निर्यात शुल्क मे वृद्धि करने के बारे में सर्वाधिक सकल्प

STATUTARY RESOLUTION REGARDING INCREASING THE EXPORT DUTY ON COFFEE, GROUNDNUT KERNEL, GROUNDNUT IN SHELL AND CARDAMUM

वित्त, तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं।

"कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का संख्या 51) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का अनुमोदन करती है, अर्थात् :—

(क) दिनांक 6 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 870 (ङ) जिसके द्वारा काफी पर निर्यात शुल्क 300 रुपये प्रति क्विटंल से बढ़ाकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है

(ख) दिनांक 13 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 877 (ङ) जिसके द्वारा मूंगफली की गिरी पर निर्यात शुस्क 800 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति टन तथा छिलका सहित मूंगफली पर निर्यात शुल्क 600 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 1125 रुपये प्रति टन कर दिया है, और

(ग) दिनांक 12 जनवरी, 1977 की अधिसूचना संख्यां सा० सां० नि० 13 (ङ) जिसके द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में नये शीर्ष संख्या 22 के अन्तर्गत इलायची पर 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात शुल्क लगाया गया है,
उपर्युक्त प्रत्येक अधिसूचना की तारीख से लागू।"

1975 के उतरार्द्ध में अतंराष्ट्रीय क्षेत्र में काफी क्षेत्र में काफी के मूल्यों मे हुई अन्त्याधिक वृद्धि के अनुसरण में 12 फरवरी, 1976 को काफी पर निर्यात शुल्क 50 रुपये प्रति क्विटंल से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। 1 अप्रेल 1976 से विश्व में काफी के दाम और अधिक बढ़े। काफी की मूल्य स्थिति पर निगरानी रखी गई। जून 1975 के अन्त तक काफी के दाम, 1,600 डालर तक पहुंचे लेकिन जुलाई 1975 में काफी के दामों में फिर कमी हुई और यह 1,100 पौड तक पहुंचे। विश्व मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 6 नवम्बर, 1976 को एक अधिसूचना सां० सा० नि० संख्या 870 (ई) के द्वारा काफी पर निर्यात शुल्क 300 रुपये प्रति क्विटंल से बढ़ाकर 1300 रुपये प्रति क्विटंल कर दिया गया।

13 नवम्बर 1976 से पहले मूंगफली पर 600 रुपये प्रति टन निर्यात शुल्क तथा मूंगफली की गिरी पर 800 रूपये प्रति टन निर्यात शुल्क लगाया जाता था। नवम्बर, 1976 में निर्यात शुस्क की पुन: समीक्षा की गई। देश में मूगफली की गिरी किस्म और आकार के आधार पर 3000 रुपये प्रति टन से लेकर 3509 रुपये प्रति टन तक बिकती है। मूंगफली की गिरी के निर्यात से 600 पौंड प्रति टन से अधिक की वसूली होने की आशा है। देश की आंतरिक तथा अंतराष्ट्रीय मंडी की स्थिति को ध्यान में रखतें हुए मूंगफली की गिरी का निर्यात शुल्क 800 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिटन से करने और मूंगफली पर निर्यात शुल्क 600 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 1,125 रुपये प्रति टन करने का निर्णय किया गया है।

अगस्त 1976 तक अतंराष्ट्रीय मंडी में इलाची के मूल्यों में लगभग स्थिरता बनी रही लेकिन वर्ष के अंतिम तीन महीनों में इलायची के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई। अत: अंतराष्ट्रीय तथा देश की आंतरिक स्थिति को देखते हुए निर्यात शुल्क के बारे में विचार विर्माश किया गया और 12 जनवरी, 1977 को अधिसूचना सां० सा० नि० संख्या 13 (ई) के अंतर्गत: लायची पर लगाया जाने वाला निर्यात शुल्क 50 रूपये प्रति किलो कर दिया गया। इलायची की एक कम कीमत वाली किस्म, जिसे वनस्पति विज्ञान में अमोग्रम सुबुले टम कहतें हैं पर यह शुल्क नहीं लगाया गया।

निर्यात शुल्क के बारे में इस अधिसूचना के जारी किए जाने के तुरन्त बाद हमें इलायची के निर्यातकों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए उन्होंने कहा कि वह निर्यात शुल्क का इतना भार सहने में असमर्थ हैं। निर्यात शुल्क में वृद्धि परिणामस्वरुप इलायची का निर्यात लगभग ठप्प होने लगा था। देश के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसलिए हमें कुछ न कुछ कार्यवाही आवश्य करनी होगी साथ ही उत्पादकों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए जिनकी फसल खराब मौनसून के कारण प्रभावित हुई है, उसका उचित मूल्य दिलाने हेतु भी कुछ कार्यवाही करनी आवश्यक है अत: काफी सोच विचार के बाद निर्यात शुल्क को 24 फरवरी, 1977 से एक अधिसूचना सां० सा० नि० संख्या 84 (ई) के द्वारा 10 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है।

श्री चन्द्र गौड़ा (चिकमगलूर) : काफी पर निर्यात शुल्क में वृद्धि संबन्धी घोषणाओं के द्वारा बढ़ाए गये निर्यात शुल्क को जो 50 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है कोई भी आयातक या निर्यातक देश सहन नहीं कर सकता। उत्पादकों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है फिर अब प्रश्न यह है कि जो काफी अभी रास्ते में है उसका क्या होगा। इन सब बातों के बावजूद देश में काफी के बाजार को पहले के समान बनाए रखा गया है और वह भी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के चौथाई के मूल्य पर।

अब प्रश्न यह है कि मार्ग की काफी के निर्यात शुल्क को कौन वहन करेगा। इसका 1.25 करोड़ रुपया निर्यातक वहन करेंगे। जब दोबारा शुल्क बढ़ाया गया तब यह निर्णय हुआ कि यह भार काफी बोर्ड पूल निधि द्वारा वहन किया जाएगा। इसका अर्थ हुआ इसका भार अन्ततः उत्पादकों पर ही पड़ेगा।

काफी पर निर्यात शुल्क में वृद्धि के कारण चाहे जो भी हों इस से उत्पादकों पर प्रभाव पड़ेगा। हमें देश के 300 या 400 धनी उत्पादकों के बारे में नहीं सोचना है अपितु 80,000 छोटे उत्पादकों के बारे में सोचना है। काफी से बहुत विदेशी मुद्रा की आय होती है। निर्यात शुल्क में वृद्धि के कारण तत्कालिक हैं। यदि चाय पर निर्यात शुल्क समाप्त किया जा सकता है तथा इलायची पर निर्यात शुल्क 50 रुपये प्रति किलोग्राम से घटा कर 10 रुपये प्रति किलोग्राम किया जा सकता है, तो काफी पर निर्यात शुल्क क्यों नहीं घटाया जा सकता। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह निर्यात शुल्क में की गई एक दम इतनी अधिक वृद्धि पर पुर्नविचार करें। निर्यात शुल्क 3000 रुपये प्रति मीटरी टन से बढ़ा कर एक दम 13000 रुपये प्रति मीटरी टन कर दिया गया है। इस का समूचे काफी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्हें निर्यात शुल्क की दर घटाने पर विचार करना चाहिए। साथ ही काफी बोर्ड को अब तक हानि होती रही है, उसे पूरा करने के लिए कुछ सहायता दी जानी चाहिए। निर्यात बढ़ाने हेतु कुछ समझौता किया जाना चाहिए। यदि शुल्क में वृद्धि करनी है तो उसे समय समय पर बढ़ाया जाये ताकि काफी के उत्पादन पर प्रभाव न पड़े और अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में हमारी जो साख बनी हुई है, वह खराब न हो।

श्री ए० सी जाज (मुकन्दपुरम) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो संकल्प सभा के समक्ष रखा है, उसके किसानों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगा। मैं उन से अनुरोध करुंगा कि वह इस बारे में पुर्नविचार करें, ताकि दक्षिण भारत के राज्यों में कृषि को सुदृढ़ बनाया जा सके।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री गौडा ने कहा है कि काफी तथा इलाचयी का लगभग शत प्रतिशत उत्पादन तमिलनाड, कर्नाटक और केरल में होता है। निर्यात शुल्क में की गई अत्याधिक वृद्धि से राज्यों के उत्पादकों तथा समूचे काफी उद्योग पर कुप्रभाव पड़ेगा। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि 6 प्रतिशत काफी का उत्पादन 86000 छोटे किसानों द्वारा किया जाता है। अत: यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इस बढ़े हुए निर्यात शुल्क का प्रभाव केवल काफी के निर्यातकों पर ही पड़ेगा। वास्तव में असली भार किसानों को ही सहन करना पड़ेगा। यह शुल्क उनके सिर पर ही पड़ेगा। वित्त मंत्री को समग्र सिथति को समीक्षा करनी चाहिए ताकि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में इतनी मेहनत से बनाए गए अपने स्थान को हम खो न दें।

जहां तक इलायची का सम्बन्ध है, इस फसल का 70 प्रतिशत उत्पादन केरल में, 20 प्रतिशत कर्नाटक तथा 10 प्रतिशत तामिलनाडु में होता है। 1972 से किसान समर्थन मूल्य की मांग करते रहे हैं। हाल में करटे बीमारी के कारण फसल कम हुई है। यदि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मंत्री नें बढ़े काफी और इलायची के दामों, जो कि एक अस्थायी स्थिति है, से लाभ उठाना चाहती है और इस हेतु वह निर्यात शुल्क में वृद्धि करनी है, तो यह देश के हित में नहीं होगा। वित्त मंत्री को सम्पूर्ण स्थिति पर विचार करना चाहिए और उन्हें इस बात की आड़ नहीं लेनी चाहिए कि यह आदेश उन्होंने नहीं दिए।

सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मंड़ी में यह दो मदें काफी तथा इलायची मुख्यतया छोटे उत्पादकों की मदें हैं। वित्त मंत्री को पूरी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसानों को लाभ होने के साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय मंड़ी में इन का स्थान भी बना रहे।

***श्री धर्म सिंह भाई पटेल (पोरबन्दर)** : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने तीन मदों (1) काफी, (2) मूंगफली तथा (3) इलायची को चुना है। जहां तक काफी और इलायची का सम्बन्ध है, कई माननीय सदस्य इस बारे में बोल चुके हैं, अतः मैं सभा का अधिक समय न लेते हुए अपना कथन केवल मूंगफली के निर्यात तक सीमित रखूंगा।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है तथा राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है। हमारी नई सरकार की यह नीति है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो और अधिक चीजों का निर्यात किया जाये। देश में लगभग 45 लाख मीटरी टन मूंगफली पैदा होती है। इस में से एक तिहाई अर्थात 15 लाख टन गुजरात में पैदा होती है। इसलिए यह जरूरी है कि मूंगफली का उत्पादन बढ़ाया जाये और फालतू मूंगफली का निर्यात किया जाये। अब निर्यात शुल्क को 800 रुपये से बढ़ा कर 1500 रुपये कर दिया गया है, अतः निर्यात में 700 रुपये प्रति टन की वृद्धि हुई है। जहां तक बिना छिलके की मूंगफली का सम्बन्ध है निर्यात शुल्क 600 रुपये से बढ़ा कर 1125 रुपये कर दी गई है। यह वृद्धि उचित नहीं है।

महोदय, सरकार यह समझती है कि किसी वस्तु के मूल्य के रूप में जो राशि प्राप्त होती है, उस का लाभ उत्पादक अथवा किसान को होता है। परन्तु सरकार की यह धारणा सही नहीं है। किसानों के पास बड़े उद्योग नहीं हैं। वे इन चीजों का उत्पादन मंहगे खाद, महंगे सिंचाई के साधन तथा कड़ी मेहनत के बाद करते हैं। कुछ मात्रा का निर्यात सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है, कुछ का निर्यात व्यापारियों द्वारा तथा कुछ का निर्यात स्वयं किसानों और उत्पादकों द्वारा किया जाता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि शुल्क में वृद्धि न की जाये।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुक्की) : चूंकि देश की 70 प्रतिशत इलायची का उत्पादन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में होता है, इस लिए मुझे ज्ञात है कि इस में कितनी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

श्री जार्ज ने इलायची के मूल्यों में बढ़ोतरी और कमी की कहानी सुनाई है। 1972 में इलायची का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया था, जो इस बात का सूचक है कि मूल्य बहुत कम था। तदुपरान्त मूल्य बढ़ते और घटते रहे। अब अधिक निर्यात शुल्क लगाया गया है, जो मिला जुला कर 50,000 रुपये प्रति टन पड़ता है। शुल्क में कमी के बाद भी वह 10,160 रुपये प्रति टन के करीब पड़ता है।

आप को अगले वर्ष पता चलेगा कि उत्पादन बिल्कुल घट गया है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को मंहगे साधनों का उपयोग करना पड़ रहा है। कृषि सम्बन्धी उपकरण खाद, बीज आदि के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। यदि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हुई मूल्य वृद्धि से लाभ उठाने हेतु निर्यात शुल्क में वृद्धि करती है, तो यह बहुत अनुचित होगा।

बढ़ी हुई उत्पादन लागत तथा उत्पादन में गिरावट के कारण आज किसान की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। वह लाभ की स्थिति में नहीं है। भारत सरकार ने सीमा शुल्क को 15 रुपये से घटा कर 10 रुपये करने का निर्णय किया है। 10 रुपये प्रति क्विंटल भी अधिक है। मंत्री महोदय को सारी स्थिति पर पुर्नविचार करना चाहिए। मूल्य में वृद्धि से लाभ उठा कर थोड़ा बहुत धन एकत्र करने का सिद्धान्त नहीं अपनाना चाहिए। देश में 25,000 छोटे किसान हैं। बड़े बागान वाले तो केवल दो चार ही हैं। अन्य किसानों में से प्रत्येक के पास 2 अथवा 3 एकड़ भूमि है। निर्यात शुल्क का सारा भार इन्हीं लोगों को वहन करना पड़ेगा। सरकार को इस पर उदारता से विचार करना चाहिए।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नौर) : मैं महसूस करता हूं कि सरकार समूचे विश्व में व्याप्त काफी संकट का लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। यह संकट अधिक समय तक नहीं चलेगा। यह संकट, जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्रीचन्द्र गोडा ने बताया है, कुछ अस्थायी कारणों से पैदा हुआ है। ब्राजील में बर्फ पड़ गई थी। काफी का उत्पादन 70 प्रतिशत रह गया। फिर अंगोला में गृह युद्ध हो गया था। अब वह समाप्त हो गया है। मैं समझता हूं कि वहां काफी का उत्पादन बढ़ जायेगा। इसके अतिरिक्त कुछ लातीनी अफ्रीकी देश बाढ़ ग्रस्त अथवा सूखा ग्रस्त हो गए थे। ये सब अस्थायी कारण थे। इस से विश्व बाजार में काफी का संकट पैदा हो गया था। इसी कारण से विश्व बाजार में काफी का मूल्य बहुत बढ़ गया है और सरकार का तर्क यह है कि क्योंकि निर्यातक अधिक लाभ कमा रहे हैं, इस लिए सरकार को भी इस का कुछ अंश मिलना चाहिए।

काफी बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि काफी का उत्पादन करने वालों की काफी के उत्पादन मूल्य से जरा अधिक मूल्य अवश्य मिल रहा है परन्तु उन्हें उसके उत्पादन से उपयुक्त लाभ नहीं हो रहा है। अतः सरकार को इसके बारे में अपनी नीति पर पुनः विचार करना चाहिये। विश्व व्याप्त काफी संकट अस्थायी है तथा मंत्री महोदय को काफी उत्पादन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रश्न पर भी पुर्नविचार करना चाहिये।

*गुजराती में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

दूसरे में सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि देश में काफी का उत्पादन गिर रहा है। यद्यपि नाईनाड में अकेले ही 10,000 एकड़ भूमि में काफी का उत्पादन किया जाता है परन्तु काफी को पीला कीड़ा काफी हानि पहुंचाता है जिस के परिणाम स्वरूप उत्पादनों गिरावट आ रही है। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान के एक दल को वहां भेजा जाना चाहिये जो कि इस रोग के समस्या से निपटने के लिए अपेक्षित सुझाव सुझा सके। यदि सम्भवः हो तो वहां एक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि शुल्क के रूप में सरकार को जो धनराशि प्राप्त हो, उसके कुछ भाग का आवंटन छोटे छोटे उत्पादकों में भी किया जाये। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

श्री वयालार रवि (चिरयिनकील) : प्रस्तुत प्रस्ताव के बारे में निर्णय भूतपूर्व सरकार द्वारा किया गया था। मेरा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह मत है कि जो कुछ उत्पादकों के हित के लिए हानिकारक होगा वह निश्चय ही देश के हित के लिए भी अहितकर होगा क्योंकि अन्ततः इसका प्रभाव विदेशी मुद्रा की स्थिति पर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व सरकार की सांविधिक बोर्डों के विचारों की ओर भी उपयुक्त ध्यान देना चाहिये।

मैं आंकड़े प्रस्तुत कर अपने वक्तव्य को व्यर्थ बढ़ाना नहीं चाहता परन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही प्रस्तुत हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो वृद्धि हुई है उसका मुख्य कारण अरब बाजार की स्थिति तथा अंगोला का गृह युद्ध ही है। अत: हमें यह समझ लेना चाहिये कि यह कारण स्थाई नहीं है अतः इनके प्रभाव भी स्थायी, नहीं होंगे तथा बाजार की वृद्धि कम भी हो सकती है। हमने गत वर्ष 65 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई थी तथा हमें आशा है कि इस वर्ष हमें 100 करोड़ के लगभग इससे प्राप्त होंगे। परन्तु इससे केवल निर्यात कर्त्ताओं को ही लाभ होगा। इसका लाभ काफी उत्पादन करने वालों को उतना नहीं होगा क्योंकि काफी की नीलामी करने की काफी बोर्ड की एक अलग ही व्यवस्था होती है तथा यह अतिरिक्त शुल्क 'पूल फंड' से दिया जायेगा जिसका प्रभाव 86,000 किसानों पर पड़ेगा।

अन्त में मैं इलायची के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय इस पर जो 10 रुपये की शुल्क की कमी की गई है उसे ऐसा ही रहने दिया जाये तथा और अधिक वृद्धि न की जाये। एक बार फिर मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन कर दूं कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कर देंगे तो फिर हमारी वस्तुयें स्पर्धा नहीं कर पायेंगी तथा अन्ततः हमें विदेशी मुद्रा का घाटा उठाना पड़ेगा। अत: उन्हें कोई भी निर्णय लेते समय यह तथ्य निश्चय ही दृष्टिगत रखना चाहिये।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): My submission in this regard is that National Commission on Agriculture had studied this problems at length the commission made its suggestions in the form of a report. I think there is no proper Co-ordination between the working of the Ministry of Agriculture and the Ministry of Commerce, the ministries which are dealing with the production and export of these articles. That is why some ad hoc decisions were taken.

Mr. Speaker in the Chair.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

My submission is that the report submitted by the National Commission should be thoroughly studied by the Ministries of Finance and Agriculture.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : केवल भारत ही ऐसा देश नहीं है जोकि काफी का निर्यात करता हो अपितु विश्व के अन्य अनेक देश काफी के निर्यात में लगे हुए हैं तथा विश्व काफी बाजार स्पर्धा से भरपूर होता है। अतः हमें अपनी काफी को स्पर्धायोग्य बनाने के लिए हमें उसके मूल्य कम करने होंगे। परन्तु यदि हम किसानों को इसका कम मूल्य देंगे तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी हो जायेगी जैसा कि हमारे यहां कपास और चीनी के मामले मे हुआ। अतः हमारी सरकार को इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करना चाहिये कि शुल्क शीघ्र ही हटा दिया जाये ताकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी स्थिति सही बनी रहे तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर हमारा प्रभुत्व बना रहे।

श्री एच० एम० पटेल : मैं समझता हूं कि सम्भवतः अन्तिम वक्ता तो हमारी बात समझ ही नहीं पाये हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं स्पष्ट कर दूं शुल्क में वृद्धि केवल इसलिए की जा रही है कि विदेशी बाजारों में काफी का मूल्य बढ़ रहा है तथा हम इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं।

चर्चा के दौरान श्री मिर्धा ने राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों का प्रश्न उठाया है। मैं माननीय सदस्य के साथ पूरी तरह से इस बात पर सहमत हूं कि हमें राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों का अध्ययन कर उसे दृष्टिगत रखना चाहिये।

उनकी यह वक्ता ठीक है परन्तु मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य यह नहीं चाहेगा कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी से हमें कोई लाभ मिल रहा है तो हम उसे उठाने का अवसर छोड़ दें।

कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान यह संकेत भी किया कि चूंकि वर्तमान मांग वृद्धि अस्थाई है, अतः हमें अपना संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिये। मैं उनसे यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति एक दो वर्ष से अधिक समय तक भी चल सकती है। ब्राजील में जो कुछ हुआ वह अधिक समय तक भी चल सकता है अतः यदि हम इस स्थिति का लाभ उठाते हैं तो उत्पादकों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्योंही हमें यह पता चलेगा कि इस शुल्क से हमारे निर्यात पर कुप्रभाव पड़ रहा है हम तुरन्त ही इसे हटा लेंगे।

जहां तक किसानों तथा अन्य लोगों पर इस सबका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न है, हमारी सरकार किसी प्रकार से यह नहीं चाहती कि छोटे किसानों पर किसी भी प्रकार इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। भविष्य में शुल्क के बारे जो भी सुझाव दिये जायेंगे, हम निश्चय ही उन पर विचार करेंगे। इसी सन्दर्भ में मैं एक अन्य बात स्पष्ट कर दूं कि जब एक समय काफी पर शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये किया गया था तो लन्दन में इसका मूल्य 878 रुपये था। अब यह मूल्य 4015 रुपये है तथा जब इसे 300 रुपये किया गया था तो इसका मूल्य 2600 रुपये था। अतः मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि उत्पादकों को इससे कोई हानि नहीं होगी।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या यह प्रस्ताव पारित करने के बाद इलायची का शुल्क 50 रुपये से 10 रुपये तक कर देने वाली अधिसूचना समाप्त हो जायेगी ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं सभा के समक्ष यह स्पष्ट कर दूं कि ये शुल्क उस दिन से लागू होंगे जिस दिन उन्हें अधिसूचित किया जायेगा क्योंकि अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि जब सभा का सत्र न चल रहा हो तो उस दौरान कोई अधिसूचना जारी की जाये तो सत्र के आरम्भ होने के 15 दिन बाद ही उसे सभा के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।

श्री ए० सी० जार्ज : मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को काफी तथा इलायची के बारे में पुनः विचार करना चाहिये क्योंकि इसके निर्यात कर्त्ताओं को हानि होगी। किसान को तो उसका मूल्य 'पूल' से प्राप्त हो ही जायेगा।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य महोदय की जानकारी इस विषय की मेरे से कहीं अधिक होगी परन्तु यदि वह केवल इसलिये कुछ कहना चाहते हैं कि वह विरोधी पक्ष में बैठे हैं। मैं उन्हें यह स्पष्ट कर दूं कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इससे राष्ट्र के राजस्व में वृद्धि होगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का संख्या 51) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का अनुमोदन करती है, अर्थात् :-

(क) दिनांक 6 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 870 (ङ) जिसके द्वारा काफी पर निर्यात शुल्क 300 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

(ख) दिनांक 13 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 877(ङ) जिसके द्वारा मूंगफली की गिरी पर निर्यात शुल्क 800 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति टन तथा छिलका सहित मूंगफली पर निर्यात शुल्क 600 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 1125 रुपये प्रति टन कर दिया है, और

(ग) दिनांक 12 जनवरी, 1977 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 13(ङ) जिसके द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में नये शीर्ष संख्या 22 के अन्तर्गत इलायची पर 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात शुल्क लगाया गया है,

उपर्युक्त प्रत्येक अधिसूचना की तारीख से लागू।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति से संदेश

MESSAGE FROM THE VICE-PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है :--

"मैंने 28 मार्च, 1977 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष जो अभिभाषण दिया था उसके प्रति लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं ।

संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक

GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (AMENDMENT) BILL

The Minister of Home Affairs (Chaudhury Charan Singh) : Mr. Speaker, Sir, I beg to move :

"That the Bill to further amend the Government of Union Territories Act, 1963 be taken into consideration."

All of us know that an amendment was made by the outgoing Government according to which the terms of State assemblies was extended to six years from five years. That Government was also in favour of increasing the terms of assemblies of the Union Territories also. But since the Lok Sabha was dissolved and Rajya Sabha was not meeting at that time, it was done by taking resort of an ordinance. The present Government is however against a six year term and wants to reduce it to 5 years and 7 months. Although the Bill originally provided for a term of 5 years and 4 months, but now it should be read as 5 years and 7 months. This is being done to overcome the problem of recess. There is hardly anything which is controversial in it and I hope the House will agree to it.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

डा० हेनरी आस्टिन (एरनाकुलम) : गृह मंत्री ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उससे स्वभावत: राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में भेदभाव उत्पन्न हो जायेगा । वह विधेयक देश के सामान्य लोकचार और विधान के अनुरूप नहीं है । जहां तक लोकसभा तथा राज्य विधान मंडलों की अवधि को 6 वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव था, उस समय उस पर व्यापक रूप से चर्चा की गई थी । उस पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श हुआ था । मैं आपकी जानकारी के लिये यह बता दूं कि अनेक देश ऐसे हैं जहां संसद की अवधि 7 वर्ष की है तथा कई देश तो ऐसे भी हैं जिनमें इससे भी अधिक कालावधि है । अत: उन्हें केवल यह नहीं समझना चाहिये कि केवल भारत में ही संसद की कालावधि बढ़ाई गई है ।

जहां तक मैं समझ पाया हूं कि इस विधेयक को मुख्यता चुनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत किया गया है । मैं नहीं समझता कि दिल्ली के लोग इस विधेयक का स्वागत करेंगें । दिल्ली के लोगों की मांग को तो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का दर्जा बढाने की है, वह तो चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाये फिर भला वह इस विधेयक का समर्थन किस प्रकार कर सकते हैं । अत: मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : एक सरकारी संशोधन है परन्तु उसका परिचालन नहीं किया गया है । मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस संशोधन को पढ़ दें ताकि सदस्यों को उसकी सूचना दी जाये ।

चौधरी चरण सिंह : मेरा संशोधन यह है : पृष्ठ 1 और 2 क्रमश : पंक्तियां 8 से 15 और 1 से 2 के लिये यह प्रस्थापित किया जाये :—

"परन्तु गोआ दमन और दीव तथा मिज़ोराम संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के सम्बन्ध में जैसे कि वह 7 फरवरी, 1977 को विद्यमान थी, दो स्थानों पर जहां भी "5 वर्ष शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनके स्थान पर "5 वर्ष तथा 7 महीने" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें ।

"Provided further that the provisions of this section shall, in relation to the Legislative Assemblies of the Union Territories of Goa, Daman & Diu and Mizoram, in existence on the 7th day of February, 1977 apply as if for the words "five years" in the two places where they occur, the words "five years and seven months" had been substituted."

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हुं कि इस संशोधन के बाद श्री अमरूत कासर को अपना संशोधन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । वह इस संशोधन पर बोल अवश्य सकते हैं ।

श्री अमरुत कासर (पणजी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । यह संतोष की बात है कि जनता सरकार की नीति लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं की कालावधि 5 वर्ष करना चाहती है । हमने अपने मत-दाताओं को यह आश्वासन दिया था कि हम संविधान के पहले संशोधन में उपयुक्त संशोधन करेगें ।

जहां तक मेरे संशोधन का प्रश्न है, वह कालावधि को 5 वर्ष 4 महीने करने का था परन्तु क्योंकि गृहमंत्री ने पहले ही उसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है, अतः मैं उसके लिये अधिक दबाव डालने की कोई आवश्यकता नहीं समझता । मैं चाहता था, कि समय 7 मास कर दिया जाए क्योंकि गोवा तटीय प्रदेश है और वहां वर्षा शुरू होने पर मतदाताओं का मतदान केन्द्रों तक पहुंचना कठिन हो जाएगा ।

मैं जनता सरकार की विकेन्द्रीकरण की नीति का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि हमारे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा सम्पूर्ण राज्य का कर दिया जाए ।

श्री एडुआर्डो फलैइरी (मारमु गाओ) : चुनावों से यद्यपि हमारे दल को लाभ होगा परन्तु मैं फिर भी इसका विरोध करता हूं क्योंकि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समान स्तर पर रखा जाना चाहिये । 7 मास का समय ही क्यों रखा जा रहा है । विधान सभा को तुरन्त भंग करने में कोई बाधा नहीं है फिर चुनाव मई में ही क्यों न कराए जाएं । अभी भी 40 दिन बकाया है जो काफी है ।

लोक सभा चुनावों से पता चल गया है कि वर्तमान सरकार को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है । इसलिये तुरन्त चुनाव कराना जनहित में होगा ।

मुख्य मंत्री पर लगे विभिन्न भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाए । इसके लिये एक आयोग नियुक्त किया जाए ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : हम विधान सभा, संघ राज्य क्षेत्र और लोक सभा का कार्यकाल 6 वर्ष के बजाए 5 वर्ष किये जाने का समर्थन करते हैं । इस विधेयक के द्वारा वर्षा का मौसम निकट होने के कारण यह समय 5 वर्ष 7 मास करने की मांग की जा रही है । यह सर्वथा उचित ही है । विधेयक का विरोध करते हुए कहा गया है कि 42वें संशोधन को जनमत का समर्थन प्राप्त था । परन्तु ऐसा नहीं केवल अपनी कठपुतलियों के सम्मेलन बुला कर जनमत को जाना गया । तब भी जन साधारण ने इसका विरोध किया था । फिर इस आधार पर लड़े गये हाल के चुनावों ने यह सिद्ध भी कर दिया है । जनता ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया है । हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि विधान मण्डलों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिये । यह लोकतांत्रिक है । नेताओं को जेल में डाल कर यह 42वां संविधान संशोधन पास किया गया था और विपक्ष इसलिये जनता का सामना नहीं करना चाहता । लोकतंत्र में अपने विश्वास के कारण ही जनता पार्टी सत्ता में आई है, तथा उस लोक तंत्र को बचाए रखने के लिये ही हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं ।

Shri Karpoori Thakur (Samastipur : This Bill has been brought with the purpose of holding elections in the Union Territories of Goa, Daman & Diu and also in Mizoram during the months of October-November this year. By doing so the ruling party is giving an apportunity to the people of those territories to elect their own representatives and to fulfil their political aspirations.

The term of Lok Sabha has been extended to six years through a Constitution Amendment. It is wrong to say that this was done on the

basis of a national dialogue and national consensus. The fact is that all opposition parties except C.P.I. were put in jail and there was nobody to oppose that Bill. In those circumstances the constitution was amended arbitrarily and the term of Lok Sabha was extended for political reasons. This was done against the wishes of the people. Now, the present Government want to undo the whole thing by bringing forward a Constitutional Amendment Bill. But the Congress Party has opposed it for political reasons. Meanwhile we want that the Union Territories be given an opportunity to hold elections. I, therefore, fully support the Bill.

प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना (महाराजगंज) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ यह संशोधन पेश करता हू• कि लोक सभा का कार्य काल 6 वर्ष के बजाय घटा कर 4 वर्ष कर दिया जाए तथा राज्य सभा के सदस्य भी हर दो साल बाद सेवा निवृत्त हों ।

पंडित डी० एन० तिवारी पीठासीन हुए ।

Pandit D. N. Tiwari in the Chair.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): It is wrong to say that terms of Lok Sabha and the State Legislatures has been extended from five to six years for political reasons only. The reasons are far more serious and compelling. We have five year plans, which form the foundation stone of our development. The object of extending the term to six years is to give the ruling party sufficient time to formulate and implement the plan. Usually one full year is lost in mobilizing resource and in formulating the plan. Now the ruling party has got sufficient time to see that the plan is fully implemented.

What is the objects in bringing forward the Bill if it is not political? If we wait for four months more, heavens are not going to fall. I will, therefore, urge that **satus quo** should be maintained.

Ch. Charan Singh: I need not say anything after the speech of my two friends from this side.

One hon. member has linked the term of the Lak Sabha to the period of our Five Year Plans. Does he mean to say that one full year is needed for formulating and preparing the Plan? Can it not be done on the final year of the term? I don't see any weight in this argument.

Mr. Chairman: Motion moved:

"that the Bill further to amend the Government of Union Territories Act, 1963, be taken into consideration."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Mr. Chairman: Now I take amendment to clause 2.

खण्ड २

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 8 से 15 तथा पृष्ठ 2 पंक्ति 1 और 2 के स्थान पर यह रखा जाए ।

"परन्तु यह भी कि इस धारा के उपबन्ध गोवा, दमन और दीव तथा मीजोरम संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं पर 7 फरवरी, 1977 को जैसी वे थीं, इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि उन दो स्थानों पर जहाँ कि "5 वर्ष" शब्दों के स्थान पर "5 वर्ष 7 मास" शब्द प्रतिस्थापित किए गये हों ।" (3)

(चौ० चरण सिंह)

[Amendment made:

For lines 8 to 15 at page 1 and for lines 1 and 2 at page 2, **substitute—**
'Provided further that the provisions of this section shall, in relation to the Legislative Assemblies of the Union Territories of Goa, Daman & Diu and Mizoram in existence on the 7th day of February, 1977, apply as if for the words "five years", in the two places where they occur, the words "five years and seven months" had been substituted.'

(Chaudhuri Charan Singh)]

Mr. Chairman: The question is:

"that clause 2 as amended stands part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 as amended was added to the Bill

Mr. Chairman: The question is:

"that clause 3 stands part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

Mr. Chairman: The question is:

"that clause 1, enacting formula and the title stands part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये ।

Clause 1, enacting formula and the title were added to the Bill.

Ch. Charan Singh: I beg to move:

"that the Bill, as amended, be passed."

Mr. Chairman: The question is:

"that the Bill, as amended, be passed."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अधिनियम

DELHI ADMINISTRATION (AMENDMENT) BILL

The Minister of Home Affairs (Ch. Charan Singh): I beg to move:

"that the Bill to amend the Delhi Administration Act, 1966, may be taken into consideration."

We want that the term of Metropolitan Council, which is going to expire on 20th March, be extended to 30th July, 1977 so that elections may be held in the month of July.

डा० हेनरी ग्रास्टिन (एरणाकुलम) : इस विधेयक में कई खामियां हैं। देश की जनता ग्रौर विशेषकर संघ राज्य क्षेत्र के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। महानगरों के लोग नहीं चाहते कि उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाए। इस लिए मैं सिद्धांतत: विधेयक का विरोध करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं सभा की बैठक के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यदि ग्राप कार्यसूची को देखें तो पता चलेगा कि मद 25 ग्रौर 26 को छोड़कर ग्रगला मद विधायी ग्रधिसूचना जिसे ग्राज ही पास किया जाना है। ग्रन्यथा ग्रध्यादेश व्यपगत हो जायेगा। सभा चाहती है कि इस मद पर ग्राज विचार ग्रवश्य किया जाये। मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से विशेषरूप से ग्रनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले में सरकार का सहयोग दें। ये विवादस्पद मामले नहीं हैं ग्रौर यदि सभा में ये ग्राज पास नहीं किये जाते तो ग्रध्यादेश व्यपगत हो जायेगा ग्रौर हम कठिन स्थिति में पड़ जायेंगे। जहां तक मद 25 ग्रौर 26 का सम्बन्ध है, ये ग्रगले सत्र में ली जा सकती हैं।

Shri Vijay Kumar Malhotra (South Delhi) : The term of the Metropolitan Council is being extended by four months only. Even then the opposition members are opposing this Bill. The Representation of People Act provides that the elections should be held before the term expires. But the previous Government arbitrarily extended the term of the Metropolitan Council to six years by issuing an Ordinance. Now, we want to undo this mischief.

Many excesses were committed in Delhi during emergency. The Executive Council of Delhi is responsible for all the excesses. Twenty people were shot dead in Turkman Gate area, lakhs of poor people were uprooted and many unauthorised colonies were bulldozed. The present councillors of Delhi cannot disown responsibility for all these happenings. In fact they should not have been allowed to continue for a day longer than their term. But since other Union Territories have been given similar extension, four-month period has been allowed to them also.

The Executive Councillors are involved in a number of cases of corruption. There is sewing machines scandal, transport scandal and Maruti scandal in which the council is involved. A number of office files are being destroyed and conspiracies are being hatched in order to blackmail the Janata Party. This should be looked into seriously.

The Metropolitan Council should be raised to the status of Assembly. Delhi State is a viable unit. Therefore, it should be granted the status of a full-fledged State.

With these words I support this Bill.

Chaudhury Brahm Perkash (Outer Delhi) : The Executive Council did not satisfy the political aspirations of the people of Delhi. It has failed to deliver goods. This Bill is not going to serve the purpose in view and therefore it should be withdrawn. I want that a new Bill be brought forward for dissolving the present council and establishing a full-fledged Assembly in Delhi.

श्री के० लकप्पा (तुमकर) : मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक राजनीतिक ग्राधार को लेकर पेश किया गया है, क्योंकि पिछली सरकार ने 42वां संशोधन ग्रधिनियम पास किया था ग्रौर वर्तमान सरकार उसे रद्द करना चाहती है। इस सरकार का यह रवैया है। जब राज्य सभा की कालावधि 6 वर्ष है तो लोक सभा की 5 वष क्यों होनी चाहिये सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य कह रहे हैं कि मतदान की ग्रायु 18 वर्ष होनी चाहिये। क्या ग्राप संविधान को स्थिर बनाये रखना

चाहते हैं ? समाज बदल रहा है और इन परिवर्तनों के अनुसार संविधान में और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम म परिवर्तन होने चाहिये । अतः परिवर्तन आवश्यक हैं । क्या पिछली सरकार द्वारा पास किये गये सभी विधानों के पीछे कोई कारण ही नहीं है ? दक्षिणी राज्य में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है और उन्होंने संविधान संशोधन का समर्थन किया है । मैं चाहता हूँ कि सरकार की आर्थिक नीति अब तक घोषित हो जानी चाहिये थी । पता नहीं सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही । ऐसे राजनीतिक और विवादग्रस्त विधान लाने का कोई लाभ नहीं है जिनके द्वारा दूसरे पक्ष और पिछली सरकार से बदला लिया जाये । पिछली सरकार के विरूद्ध बदला लेने की भावना रखना बुरी बात है ।

इन दो विधेयकों का उद्देश्य यह है कि सत्तारूढ़ दल राज्य सरकारों को शीघ्रातिशीघ्र गिराना चाहती है । राज्य सरकारें ठीक तरह से जमीं हुई हैं और चल रहीं हैं । राज्य में चुनाव निर्धारित समय पर कराये जाने चाहियें । ऐसी जल्द बाजी क्यों की जा रही है ? राज्यों में चुनावों के बाद आप कोई काम कर सकते हैं । राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जल्दबाजी में संशोधन नहीं किये जाने चाहियें । इसके बजाय सरकार को अपना ध्यान अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे कि आवश्यक वस्तुओं की कमी, चुनावों के बाद मूल्यवृद्धि, हरिजनों और अन्य अल्पसंख्यंक समुदाओं का उत्पीड़न और हिंसात्मक गतिविधियों की ओर देना चाहिये ।

Shri Shiv Narain Sarsonia (Delhi Karol Bagh : The people of Delhi have rejected Congress lock, stock and barrel. Therefore, to continue the Executive Council amounts to a betrayal of the people. Metropolitan Council should have been dissolved by now. It is surely an act of grace that the ruling party is extending its term by four months. Therefore, it is strange that instead of feeling grateful and supporting the Bill the Congress Party is opposing this Bill.

There is multiplicity of authorities in Delhi. It creates trouble and difficulties for the people. Therefore, the present set-up needs a drastic change. The present Metropolitan Council should be dissolved and a full-fledged State Assembly be established.

Shri Kishore Lal (East Delhi : The people of Delhi have always been the victims of indifference of the Central Government. The State Assembly was dissolved in 1956. After a lapse of 10 years Metropolitan Council was established in Delhi in 1966. Now again we are discussing a new Bill which relates to Delhi.

The fact is that neither the Metropolitan Council of Delhi nor the Municipal Corporation of Delhi could solve the problems of the people of Delhi. Therefore, a unified and powerful authority should be established for Delhi, so that the present overlapping of authorities and consequent delays and difficulties can be eliminated.

The present set-up needs an immediate change, because there is no coordination amongst many authorities dealing with Delhi. As a result more than one Ministry deals with a single issue. This causes difficulty, which should be looked into seriously.

We have made certain commitments to the people in Delhi. It should be our endeavour to fulfil them.

The Minister of Home Affairs (Chaudhuri Charan Singh) : The impression which the previous speaker has created is that Delhi is being discriminated against and the State of Delhi is not getting the required attention it deserves from the Central Government. This is not correct. It is also too much to expect that all problems of Delhi will be solved by establishing an Assembly here.

This Government has been installed very recently. Therefore, it is not possible to declare whether an Assembly will be established in Delhi, because it needs a thorough study of the problems of Delhi. Therefore, to suggest that the present Bill be withdrawn and a new Bill to establish State Assembly should be brought is not proper. Vacuum will be created if it is withdrawn. In this event we will have to pass some law to run the administration. We are extending the term of the Metropolitan Council by four months, so that elections can be held before 20th July this year.

Some Members have alleged that there is a political motive in bringing forward this Bill. There is no political motive behind it. The previous Government, who had extended the term of the Lok Sabha and State Assemblies from 5 years to 6 years, had certainly a political motive, whereas we are reducing the term. How can they impute motive to us?

Shri Malhotra has said that files are being destroyed in Delhi Administration. I agree that the Delhi Administration has become inefficient during the last many months. But it is not possible to bring an overall change in the administration within a short time. However, every effort is being made to this end. If there is any complaint in regard to destruction of official files it should be brought to his notices. I do not believe that a State Assembly will be a penancea for all the ills of Delhi.

With these words I appeal to the hon. Members of the House to pass this Bill.

Mr. Chairman: The question is:

"that clauses 2, 3, 1, enacting Formula and the title stand part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 2, 3, 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

Chaudhuri Charan Singh: I beg to move:

"that the Bill be passed."

Mr. Chairman: The question is:

"that the Bill be passed."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

विवादग्रस्त चुनाव (प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष) विधेयक

DISPUTED ELECTIONS (PRIME MINISTER AND SPEAKER) BILL

सभापति महोदय : अब हम दूसरे मद पर चर्चा करेंगे ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रधान मंत्री तथा लोक सभा के अध्यक्ष के संसद् के लिये विवादाग्रस्त चुनावों का निपटारा करने के लिए प्राधिकरणों और उनसे सम्बन्धित बातों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जायें ।"

विधेयक को पुर:स्थापित करते हुए मैंने कहा था कि सरकार का विचार संविधान के अनुच्छेद 329क को समाप्त करने का है क्योंकि इससे चुनाव याचिकाओं के निपटारे के मामले में एक ओर प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष के बीच तथा दूसरी ओर संसद् सदस्यों के बीच भेद भाव पैदा हो गया है।

हमने इस अनुच्छेद का लोप करने के लिए एक संशोधन विधेयक पहले से ही प्रस्तुत कर दिया है। जब तक यह अनुच्छेद संविधान में रहेगा सरकार के सामने बाधाएं रहेंगी क्योंकि इसमें की गई व्यवस्था के अनुसार प्रधान मंत्री तथा लोक सभा के अध्यक्ष के विवादग्रस्त चुनावों के मामले का निपटारा अनुच्छेद 329 में निर्दिष्ट प्राधिकरण के अतिरिक्त एक अन्य प्राधिकरण करेगा। इसी उद्देश्य के लिए यह विधेयक लाया गया है।

पिछली सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके यह उपबन्ध किया गया था कि प्रधान मंत्री और लोक सभा के अध्यक्ष के संसद् के लिए विवादग्रस्त चुनावों का निपटारा करने का काम एक समिति को सौंपा जायेगा जिसके कुल 9 सदस्य होंगे। इन 9 सदस्यों में से तीन सदस्य लोक सभा के तीन राज्य सभा के और तीन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जायेंगे। लेकिन अब ऐसा समझा जाता है कि इस समिति में जनता का विश्वास नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि इसके स्थान पर किस प्राधिकरण की नियुक्ति की जाये। इस बात को दृष्टि में रखते हुए एक अन्य श्रेष्ठ प्राधिकरण जिसमें जनता का विश्वास हो सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है। उसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

विधेयक को पुर:स्थापित करते समय प्रश्न किया गया था कि क्या अनुच्छेद 329क के अन्तर्गत एक न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्ध अपील की जा सकती है। इस प्रश्न के बारे में मैं स्पष्टीकरण देता हूँ कि ऐसे गठित प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

श्री ओ० वी० अलगेसन (अर्कोनम) : सभापति महोदय, विधेयक पर विचार करने में इतनी जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। विरोधी दल के सदस्यों ने आरम्भ से ही इसके पुर: स्थापन की अवस्था से ही इस विधेयक के सिद्धांत का विरोध किया है। उन्होंने इसके पुर: स्थापन के ढंग तथा आवश्यकता का भी विरोध किया है।

अनेक माननीय सदस्यों की शंकाओं तथा आपत्तियों के निवारण में उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा है कि इसमें एक त्रुटि है जिसको दूर करने के लिये ही यह विधेयक लाया गया है। लेकिन संविधान (43वां संशोधन) विधेयक पुर: स्थापित करते समय खण्ड 6 पर विचार करते हुए आपने कहा था कि आप अनुच्छेद 329 क का लोप करने जा रहे हैं।

खण्ड 6 के उपखण्ड (2) में एक उपबन्ध के अनुसार कुछ चुनाव याचिकाओं का निपटारा एक प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और जैसे ही संविधान (संशोधन) विधेयक पास होकर अधिनियम बन जायेगा तो पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जायेगी तथा मूल स्थिति फिर से आ जायेगी और जो प्राधिकरण पहले कार्य कर रहे थे वे अस्तित्व में आ जायेंगे और चुनाव आयुक्त नियुक्त प्राधिकरण से चुनाव याचिकाओं का निपटारा करने के लिए कहेगा। इस तथ्य के अलावा कि क्या वर्तमान प्रधान मंत्री और वर्तमान अध्यक्ष के विरूद्ध चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं अथवा नहीं, चुनावों के दौरान जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कुछ सदस्यों ने आपत्ति उठाई है। ऐसी स्थिति में मैं इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं समझता।

श्री हरि विष्णु, कामथ (होशंगाबाद) : यह विधेयक समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है। इसका उद्देश्य कुछ परिवर्तनों सहित अध्यादेश का प्रतिस्थापन करना है। यदि विधेयक अध्यादेश में रूप भेद करता है तो इसमें क्यों न पूरी तरह परिवर्तन कर दिया जाये ताकि विधान के समक्ष समानता के सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया जा सके। सदन इस बात से सहमत होगा कि चुनाव के दौरान प्रधान मंत्री और लोक सभा अध्यक्ष का दर्जा निश्चय ही उन लोगों से भिन्न होता है जो चुनाव के पश्चात इन पदों पर निर्वाचित हो जाते हैं। लेकिन इस विधेयक में इन दोनों स्थितियों का उपबन्ध है।

फिर विधेयक का खण्ड 5 बिल्कुल असंगत है, क्योंकि जब अध्यादेश के रूप भेद किया जाने वाला है तो क्या इस खण्ड का लोप नहीं किया जा सकता? मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि विधि मंत्री इस सम्बन्ध पर क्यों जोर दे रहे हैं। विधि मंत्री महोदय को इस मामले पर विचार करना चाहिए क्योंकि प्रधान मंत्री और अध्यक्ष का दर्जा दूसरे व्यक्तियों से बिल्कुल भिन्न होता है। इस परन्तुक को बिल्कुल हटा देना चाहिए क्योंकि यह असंगत और अवांछनीय है। यह लोक तंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। हमें आशा है विधि मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि समानता का सिद्धांत संविधान के अन्तर्गत स्थापित किया गया है और एक नया विधान, नया विधेयक यथाशीघ्र सभा के समक्ष पेश किया जायेगा। इस विधेयक के द्वारा संविधान से लोक सभा के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री के सम्बन्ध में सभी असमान उपबन्ध हटा दिए जायेंगे क्योंकि संविधान में यह प्रावधान है कि प्रधान मंत्री तथा लोक सभा के अध्यक्ष के पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के चुनावों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

मंत्री महोदय के वक्तव्य में कहा गया है कि अध्यादेश फरवरी 1977 में लागू किया गया था। इन में 9 सदस्यों की एक परिषद बनाने की व्यवस्था की गई थी जिसके तीन सदस्य लोक सभा के तीन राज्य सभा के और तीन अन्य सदस्य होंगे। मैंने कल यह प्रस्ताव किया है कि या तो इस अध्यादेश को समाप्त कर दिया जाये अथवा मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को यह सलाह दे कि यह अध्यादेश वापिस लिया जाये। लेकिन इन में से एक बात भी स्वीकृती नहीं हुई। उस समय विधि मंत्री ने कहा था कि यदि हम यह बात मान लेते हैं तो अनुच्छेद 329 के कारण इसमें शून्य की स्थिति पैदा हो सकती है अत: मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस पर प्रकाश डालें। मानलो कि अध्यादेश व्यापगत कर दिया गया है या वापिस ले लिया गया है और अनुच्छेद 329 क के अनुसार 9 सदस्यों के प्राधिकरण का गठन हो जाता है। यह मान लो कि सदन अपने 3 सदस्य नियुक्त करने से इनकार कर देता है तो ऐसी स्थिति में पुराना कानून लागू हो जायेगा। मंत्री महोदय का इस स्थिति पर प्रकाश डालना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (यादवपुर) : मैं यह बात मानता हूं कि जब तक संविधान में अन्तर्निदित अनुच्छेद 329 क को समाप्त नहीं किया जाता विधि मंत्री के पास इस विधेयक को लाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष के सदस्य अनुच्छेद 329 क के लोप करने का समर्थन करेंगे। संविधान में यह अनुच्छेद इस आशय के निमित अन्तर्निदित किया गया था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी फिर से प्रधान मंत्री बनेंगी। अत: यह स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद से किस को लाभ पहूंचता। लोक सभा के अध्यक्ष को तो केवल साथ देने के लिए रखा गया है केवल भूतपूर्व प्रधान मंत्री को न्यायिक जांच से बचाना ही इसका आशय था। लेकिन जनता ने अपना आदेश दिया है। पिछली सरकार न्यायिक जांच से डरती थी। इसलिए उन्होने इन दो पदों पर नियुक्त किए जाने वाले व्यकितयों के चुनाव सम्बन्धी वियादों को निपटाने के लिए यह उपाय खोज निकाला और उन्हें कानून से ऊपर रखा। देश के इन व्यक्तियों के लिए एक विशेष श्रेणी बनाई गई जिन पर कानून की प्रक्रियाये लागू नहीं होती थी। इस शून्य को समाप्त करने के लिए यह विधेयक लाना पड़ा है एक व्यक्ति के लिए संविधान के साथ इतना घृणित खिलवाड़ किया गया है।

इस नये विधेयक में यह व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक न्यायाधीश को मनोनीत करेगा जो चुनाव याचिकाओं की सुनवाई करेगा लेकिन जब इस परन्तुक के खण्ड 5 पर आपत्ति की गई उस समय अनुच्छेद 329 क के इस प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री अथवा लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है तो उसके विरुद्ध दायर की गई चुनाव याचिका रद्द हो जायेगी। अत: इस परन्तुक का अन्त. स्थापन करना आवश्यक हो गया है और मैं आशा करता हूं कि कम से कम अनुच्छेद 329क से तो हमारा छुटकारा हो ही जायेगा।

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur): Sir, I support the Bill brought forth before this House. But I do not understand how various laws of the land much as, People's Representation Act and the Constitution of India have been amended with an ulterior motive of bringing the Prime Minister out of the purview of the Judiciary. The principle of equality before law, which is an ingredient of democracy, has been abolished. All this has been done only to save one individual. The existence of article 329(A) in Our Constitution is a great blot to our constitution. It must be scrapped as early as possible. In view of the Law Ministers' intention, this Bill should be passed soon.

Shri Sheo Narain (Basti): The Law Minister deserve compliments for bringing forth this Bill. Article 329(A) of the Constitution should be done away with soon. The Janta Party Government has to fulfil the commitments they have made to the people. People of this country are very keen to see that the existing law is amended so as to provide for a term of five years for legislatures. All the black laws should be scrapped at once.

I, therefore, support the Bill.

श्री शान्तिभूषण : एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि यह विधेयक इतने विलम्ब से क्यों लाया गया है। लेकिन इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठ जाता है कि प्रधान मंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के विरुद्ध चुनाव याचिका उस प्राधिकरण के समक्ष दायर नहीं की जा सकती जिस के समक्ष अन्य सदस्यों की चुनाव याचिकाएं जाती हैं यह बड़े दु:ख की बात है। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 329 क बाधा डालता है। श्री कामत द्वारा उठाये गये मामले के सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि अनुच्छेद 329 क की शब्दावली बहुत स्पष्ट है लेकिन विधि की कभी कभी दो व्याख्याएं दे दी जाती हैं, दो न्यायालयों में मत भेद हो सकता है लेकिन कुछ मामलों में दो प्रकार की व्यवस्था देना सम्भव नहीं होता है।

इसलिए इस सम्बन्ध में यह उपबन्ध स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति जो प्रधान मंत्री अथवा लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है उसके चुनाव की किसी ऐसे प्राधिकरण जो संसद के कानून में निर्दिष्ट नहीं है और जो अनुच्छेद 329 (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकरण से भिन्न है के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। यह प्राधिकरण उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 329 (क) के रहते हुए हम उच्च न्यायालय को ऐसा प्राधिकरण नहीं समझ सकते जो कि प्रधान मंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनावों सम्बन्धी याचिकाओं का निपटारा करता है। हमने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रखा है। इसलिए इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तुत विधेयक में अनुच्छेद 329 को हटाने का प्रावधान है। विधेयक के कानून बनने पर अनुच्छेद अपने आप खत्म हो जायेगा। जब तक विधेयक कानून नहीं बनता तब तक कोई भी व्यक्ति किसी प्राधिकरण के समक्ष चुनाव याचिका पेश कर सकता है। अध्यादेश जारी करके चुनाव याचिका सुनने का अधिकार समिति को दिया गया था लेकिन हमारे विचार में ऐसा करना न्यायसंगत नहीं था। इसी कारण से हमनें इस विधेयक के माध्यम चुनाव याचिका सुनने का प्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देने का प्रस्ताव किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक की सिफारिश करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामथ : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अनुच्छेद 329 (क) को ध्यान में रखते हुए क्या उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों का न्यायापीठ स्थापित नहीं किया जा सकता था क्योंकि इससे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता ?

श्री शान्ति भूषण : जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि चुनाव याचिका उच्च न्यायालय में पेश की जाएगी। अगर न्यायापीठ स्थापित किया भी जाए तो भी वह न्यायापीठ उच्च न्यायालय का ही अंग है। जब भी मुकद्में की सुनवाई के समय साक्ष्य लिए जाते है और गवाहों के ब्यान सुने जाते है तो एक से अधिक न्यायाधीश होने पर मामला और भी जटिल हो जाता है। इसलिए परम्परा यह है कि पहली अपील की स्थिति में एक ही न्यायाधीश बैठता है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रधानमंत्री तथा लोकसभा के अध्यक्ष के संसद के लिए विवादग्रस्त चुनावों का निपटारा करने के लिए प्राधिकरणों और उसे संबधित बातों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 2

सभापति महोदय : श्री कामथ ने संशोधन की सूचना दी है। क्या आप संशोधन पेश करना चाहतें है।

श्री हरि विष्णु कामथ : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए मैं संशोधन संख्या 1 से पेश करना नहीं चाहता।

सभापति महोदय : खंड 3 में संशोधन की सूचनाएं नहीं मिली हैं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

सभापति महोदय : श्री बी० सी० काम्बले तथा श्री रामधारी शास्त्री ने संशोधन की सूचनाएं दी है। क्या आप उन्हें पेश करना चाहतें हैं।

श्री रामधारी शास्त्री : जी नहीं।

श्री बी० सी० काम्बले : जी नहीं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

खंड 5

श्री हरि विष्णु कामथ : मैं संशोधन संख्या 5 पेश करता हूं । जब सरकार ने स्पष्ट किया कि वह अध्यादेश में कुछ संशोधन करने वाली है तो मैंने सोचा कि जनता सरकार प्रतिभूति की राशि 2,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये कर देगी । अनुच्छेद 329 क में प्रतिभूति की राशि का कोई उल्लेख नहीं है । आशा है सरकार राशि को घटाकर 1,000 रुपये कर देगी ।

श्री शान्ति भूषण : जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में 2,000 रुपये प्रतिभूति की राशि का प्रावधान है ।

सभापति महोदय : आप अपने संशोधन को वापिस लेना चाहते हैं । या उस पर जोर डालना चाहते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामथ : मैं संशोधन वापिस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The Amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 से 12 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 5 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 5 to 12 were added to the Bill.

खंड 13

श्री हरि विष्णु कामथ : मैं संशोधन संख्या 5 तथा 6 पेश करता हूं ।

मेरा निवेदन यह है कि इनक्रिमिनेट 'शब्द' 'क्रिमिनेट शब्द की तुलना में अधिक आधुनिक है । यह आक्सोफोर्ड शब्दकोष में कहा गया गया है ।

श्री त्रिदिव चौधरी पीठासीन हुये)

Shri Tridib Chaudhuri in the Chair.

मेरे मित्र, विधि मंत्री, श्री शांति भूषण का अंग्रेजी भाषा के प्रति काफी स्नेह है तथा उन्हें उसका अच्छा ज्ञान भी है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने 'इनक्रिमिनट' की अपेक्षा 'क्रिमिनेट' शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त क्यों समझा ?

श्री शांति भूषण : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि 'इनक्रिमिनेट' 'शब्द क्रिमिनेट' शब्द की तुलना म अधिक आधुनिक है परन्तु मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कानून का सम्बन्ध है उसके लिए हम पुराने तथा अधिक प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त समझते है । अगर हम पुराने शब्दों के स्थान पर

नये शब्दों का प्रयोग करने चलें तो उनको भी तो चर्चा का विषय बनाया जा सकता था अतः मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह इसके लिए अधिक दबाव न डाले। हमनें उसी शब्द का उपयोग करना अधिक उपयुक्त समझा जिसका उपयोग पहले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में किया गया था।

श्री हरि विष्णु कामथ : यदि यह बात है तो मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं। सदन में मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दे दें।

संशोधनों को सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The amendments were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृतत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 13 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clauses 13 was added to the Bill.

खण्ड 14 से 28 विधेयक में जोड़ दिया गये।

Clauses 14 to 28 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, the enacting formula and the Title were added to the Bill

श्री शांति भूषण : मैं प्रस्ताव करता हूं, 'कि विधेयक को पारित किया जाये।'

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक

FOOD CORPORATIONS (AMENDMENT) BILL

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रुप में विचार किया जाये"।

श्रीमान जी, प्रस्तुत विधेयक में विदित मामला काफी है। इस विधेयक में खाद्य विभाग के उन तत्कालीन कर्मचारियों, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित कर दिया गया था, उनकी परिलब्धियों तथा अन्य लाभों आदि का विनियमन करने के लिए अधिनियम की धारा 12 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जनवरी 1965 में की गई तथा उसके बाद भारत के खाद्य विभाग के सभी कृत्य इस निगम के जिम्मे लगा दिये गये। खाद्य विभाग के लगभग 17,000 कर्मचारियों को खाद्य निगम में स्थानान्तरित किया गया तथा उनके हितों की सुरक्षा के लिए खाद्य निगम अधिनियम 1964 में धारा 12 'क' को जोड़ा गया। इस धारा के अनुसार कर्मचारियों को अपने अन्तिम लाभ आदि के बारे में अपने विकल्प प्रस्तुत करने थे। परन्तु यह कार्य निर्धारित समय में नहीं हो सका तथा स्थानान्तरण अधिसूचना जारी किये जाने या विकल्प प्राप्त करने से पहले ही कुछ कर्मचारियों की मृत्यु हो गई या कुछ सेवानिवृत हो गये। इस सब से कुछ कठिनाईयां उत्पन्न हो गई। वास्तव में प्रस्तुत विधेयक के माध्यम से उन कठिनाईयों को दूर करने का ही प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत विधेयक में यह प्रबन्ध किया गया है कि सभी सेवा निवृत कर्मचारियों को यह विकल्प देने का फिर से अवसर प्रदान किया जाये । उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिये कि वह केन्द्रीय सरकार के अन्तस्थ लाभ के अन्तर्गत नियमित होना चाहते है या वह खाद्य निगम के अन्तर्गत आना चाहते हैं । विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि जिन लोगों का अभी औपचारिक रूप से स्थानान्तरण किया गया है, उन्हें भी 6 महीनें दे दिया जाये । सेवानिवृत तथा मृतक लोगों को भी इस संशोधन प्रावधान का लाभ नहीं उठाने दिया गया है । यह उपबन्ध कर दिया गया है कि जहां कहीं ऐसे व्यक्ति अपना वैध विकल्प दे सकतें है, उनके विकल्प को मान्यता प्रदान की जायेगी । जिन मामलों में वैध विकल्प नहीं प्राप्त होगा, उनमें केन्द्रीय सरकार के लाभ जो अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद है, दिये जायेंगे ।

अतः मैंने जैसा कि मैंनें आरम्भ में कहा, इस विधेयक के माध्यम से कर्मचारियों के मार्ग में आने वाली कुछ कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है । इसलिए मुझे आशा है कि सदन को यह विधेयक स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि खाद्य निगम अधिनियम 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये ।"

श्री अणासाहिब शिंदे (अहमदनगर) : सर्व प्रथम मैं श्री प्रकाश सिंह बादल को इस महत्वपूर्ण विभाग का कार्यभार संभालनें के लिए बधाई देना चाहता हूं । यह काफी संतोष की बात है कि पंजाब के एक किसान को कृषि-विभाग का कार्यभार सौंपा गया है । मैं उनकी पूर्ण सफलता की कामना करता हूं ।

मैं आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर दूं कि मेरे दल का उद्देश्य सरकार की सभी नीतियों या विधेयकों का विरोध करना नहीं है । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं । खाद्य निगम के कर्मचारियों के समक्ष कुछ कठिनाईयां थी तथा उन कठिनाईयों को दूर करने के लिए ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । इस विधेयक से सम्बन्ध कुछ पहलुओं के बारे में मुझे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ था ।

उस समय खाद्य विभाग के कर्मचारियों के मन में कुछ शंका हो गई थी । मैंने सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन दिया था कि खाद्य विभाग से भारतीय खाद्य निगम में उसकी सेवा के स्थानान्तरण से उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ेगी । मुझे आशा है, कि वर्तमान सरकार और मंत्री महोदय कर्मचारियों के कल्याण में रूचि लेंगे और भविष्य में उनकी समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा ।

जब मैं सरकार में था उस समय मुझे पता चला था कि कुछ समस्याओं को हम सुलझा नहीं पाये थे । उदाहरणार्थ पश्चिम बंगाल में खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वालों की समस्या है । वस्तुत ये लोग पश्चिम बंगाल, सरकार के कर्मचारी हैं । इसलिए उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है । मुझे आशा है मंत्री महोदय इस मामले पर ध्यान देंगे ।

जहां तक खाद्य निगम का सम्बन्ध है, यह एक विशाल संगठन है और यहां कुछ त्रुटियां या कमियां भी रह सकती हैं । फिर भी इस निगम में बहुत अच्छे अधिकारी एवं कर्मचारी हैं । भारतीय खाद्य निगम अनाज की बचत के मामले में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और निभानी है । सूखे की स्थिति और अनाज की कमी के दौरान देश में खाद्य पमार्थो की बचत के बारे में वास्तविक परीक्षा उत्पन्न हो जाती है कि किसी तरह कमज़ोर वर्गों की आवश्यकता पूरी की जाये और मूल्य स्थिर रखे जायें । लेकिन दुर्भाग्यवश खाद्य सम्बन्धी मामला राजनीति से मिला हुआ है । समाचार पत्रों से पता चला है कि इस मामले में तदर्थ आधार पर नीतियां निर्धारित करने की सम्भावना है । किन्तु खाद्य पदार्थों सम्बन्धी मितव्ययता कायम रखने के मामले में तदर्थ वादिता बहुत घातक रहेगी । हमारे देश में अधिकतर लोग गरीब हैं और उन्हें सदैव उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध किए जाने चाहिए । केवल मात्र खाद्यान्नों की अच्छी स्थिति या रक्षित भंडारों के बढ़ाने मात्र से में तदर्थ आधार पर नीतियां निर्धारित नहीं करनी चाहिए ।

हमारे देश में खाद्यान्नों की स्थिति में बहुत सुधार आ गया है और हम खाद्यान्नों का आयात किए बिना भी अपना कार्य चला सकते हैं । लेकिन राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ही स्थिति का लाभ उठाना होगा ।

विश्व में खाद्य पदार्थों का मामला राजनीति के साथ मिला हुआ है । किसी देश की खाद्य नीति तथा खाद्यपदार्थों के मामले में उसकी कमजोरी का लाभ उठा कर दूसरे देशों द्वारा उसके अन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की विश्व में प्रकृति पैदा हो गई है । हम विशाल राष्ट्र के नागरिक हैं और हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम खाद्य व्यवस्था के सम्बन्ध में बड़ी शक्तियों की चालबाजी के शिकार न बनें । आज खाद्य निगम विशाल रक्षित भण्डार बनाने में असमर्थ है लेकिन इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रबन्ध करने की आवश्कता है और हमें इस मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा । सभी प्रकार की कठिनाईयों तथा बाधाओं के होते हुए भी हमें विशाल रक्षित भण्डार बनाये रखने चाहिए ताकि हमें बाहरी खतरों का भय न रहे ।

भारतीय खाद्य निगम ने देश के किसानों को विपणन सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि खाद्य निगम न होता तो भारी फसलें पैदा होने पर मूल्य गिर जाते और किसानों को हानि उठानी पड़ती। अतः भारतीय खाद्य निगम को पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है ताकि यह हमारे किसानों के समर्थन में अत्यन्त शक्तिशाली संस्था बन जाये। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के हितों को देखते हुए उनका पूर्ण संरक्षण करना चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : खाद्य निगम के कुछ अधिकारियों का रवैया बहुत बदले की भावना का रहा है तथा उनका व्यवहार भी ठीक नहीं है। खाद्य निगम की पूर्वी जोन के जोनल मैनेजर ने एक संघ विशेष के 500 कर्मचारियों के प्रति बदले की भावना का रवैया अपनाया है। ये वैध कार्मिक संघ के कार्यकलाप का दमन करना चाहते हैं तथा उनके लिए उन्होंने आपात स्थिति का पूरा लाभ उठाया है। इस संघ ने कभी हड़ताल नहीं की और सरकार का साथ दिया। किन्तु वह उन अधिकारियों के पिट्ठू नहीं बने इसलिए 500 कर्मचारियों को दंड के रूप में स्थानान्तरित कर दिया गया और एक समानान्तर कार्मिक संघ बना दिया गया। संघ के प्रेजीडेन्ट को कई महीने तक निलम्बित रखा गया। फिर उसे आसाम के सुदूर वर्ती क्षेत्र सिलचर स्थानान्तरित कर दिया गया। इतना ही नहीं चुनावों के परिणाम घोषित होने से 2 या 3 दिन पहले संघ के कलकत्ता स्थित कार्यालय पर पुलिस ने जबरन कब्जा कर लिया और संघ के कर्मचारियों को कार्यालय से हटाना पड़ा। अतः मंत्री महोदय को महा प्रबन्धक के ऐसे अत्याचारपूर्ण व्यवहार की जो उसने पुलिस की शह से किया, जांच करनी चाहिए।

52 सहायक प्रबन्धकों की पदावनति पर उन्हें क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया है। मंत्री महोदय को उनके मामलों की जांच करनी चाहिए।

जैसा उदार व्यवहार रेलवे कर्मचारियों के मामले में किया गया है वैसा ही कलकत्ता स्थित कार्मिक संघ के कर्मचारियों के मामले में भी करना चाहिए।

(श्री सत्यनारायण राव पीठासीन हुए)

(Shri Satya Narayan Rao in the Chair)

डाक तथा तार विभाग द्वारा उदार रवैया अपनाया गया है। अतः मुझे आशा है खाद्य मंत्री भी वैसा ही उदार रवैया अपनायेंगे।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इस पर ही देश की अर्थ व्यवस्था निर्भर है। पिछली सरकार ने इस दिशा में काफी प्रकति की। आशा है यह रुख बना रहेगा।

खाद्य निगम के कर्मचारी बड़े कार्य कुशल हैं। उनके कार्य की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए कुछ नए कदम उठाए जाने चाहिए। प्रशासन में सुधार करना चाहिए। भर्ती तथा पदोन्नति की प्रक्रिया की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

खाद्य निगम की शाखाएं अनेक राज्यों में हैं। उनके कार्य की जांच की जाए। भण्डार की कमी को दूर किया जाए ऐसा भी हुआ कि देश की खाद्य नीति कभी-कभी अन्य देशों द्वारा चलाई गई है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। कृषि की स्थिति में सुधार करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करने चाहिए। इसमें ढील नहीं होनी चाहिए।

वर्तमान विधान से निगम के कर्मचारियों को बल मिलेगा। निगम का विस्तार ही न किया जाए, बल्कि उसके प्रशासन और संगठन में सुधार भी किया जाए।

Shri Ugra Sen (Deoria): The seasonal employees should be absorbed. The employees should be given their due share in the profit earned by the Corporation.

The employees who came from Government Departments to work in various Government Corporations are asked after three years whether they will like to remain in the Corporation or go back to their Departments. This put the employees in great difficulty. This matter should be looked into.

श्री के० सूर्यनारायण (एलुरू) : सरकार केवल कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान कर रही है। जहां तक कृषि मजदूरों का सम्बन्ध है, खाद्य निगम उसमें कोई रुचि नहीं ले रहा है। उनके लाभ के लिए उसे गांवों में अनाज की दुकानें खोलनी चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में धान का आकर्षण कम होता जा रहा है। इसका उपयोग अन्य राज्यों में किया जा सकता है। सरकार खाद्य निगम अथवा निजी व्यापारियों को अनाज खरीदने के लिए दुकानें खोलने की इजाजत दे।

छ: मास पहले खाद्य निगम ने बताया था कि भण्डार की समुचित व्यवस्था है। परन्तु मेरे विचार में तिरपाल डाल कर अनाज रखना अधिक सुरक्षित नहीं है। वे सी० ए० पी० पद्धति अपनाएं। इन शब्दों के साथ मैं पुन: मंत्री महोदय से कृषि मजदूरों और छोटे किसानों की ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य (उलबेरिया) : मैं मंत्री महोदय द्वारा रखे गये संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं।

इकानोमिक एण्ड पालिटीकल वीकली में प्रकाशित हुआ है कि खाद्य अधिकारी 50 करोड़ रुपए का अनाज निर्यात करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए।

किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि फसल कटने पर वह हानि में रहें।

सरकार को उनके फालतू खाद्यान्न का उपयोग ग्रामीण विकास कार्यों में लगे गरीब लोगों को मजदूरी देने में करना चाहिए। इससे गरीबों को बड़ी मदद मिलेगी।

श्री चित्त बसु (बारासात) : इस विधेयक का सीमित उद्देश्य है विल्प की अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ाना।

पश्चिम बंगाल में प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों की समस्या ध्यान देने योग्य है। मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

भारतीय खाद्य निगम एक बड़ा संगठन है जो कि देश भर में फैला है। उसके कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या अस्थाई है।

खाद्य निगम के कार्य का विस्तार होने से उसमें हजारों कर्मचारी नैमित्तिक कर्मचारियों के रूप में लगे हुए हैं। उन्हें स्थायी रूप से खपाया जाये।

कुछ लोगों का कहना है कि देश में खाद्यान्न वसूली न करके उसका स्वतन्त्र व्यापार होना चाहिए। इससे कर्मचारियों में ही नहीं वरन जन साधारण में भी भय का वातावरण फैल गया है। मंत्री महोदय सरकार की नीति को स्पष्ट कर इस संदेह को दूर करें।

यदि आप भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिकाधिक खाद्यान्नों की वसूली करना चाहते हैं तो निगम में कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी। अत: नैमत्तिक तथा अन्य अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को मान्यता न देने की कोई तुक नहीं।

देश में कुछ शक्तियां चाहती हैं कि खाद्य अर्थव्यवस्था में बिल्कुल निर्बन्ध व्यापार होना चाहिए। इसने न केवल कर्मचारियों के मन में अपितु देश की जनता के मन में भी भय बिठा दिया है। मंत्री महोदय को इस संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि इस संदेह को दूर किया जा सके।

श्री प्रकाश सिंह बादल : यह एक अविवादास्पद विधेयक है। जिन सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है मैं उनका आभारी हूं। मैं अपने कार्य की भली भांति निभाने के लिये भरसक प्रयत्न करूंगा।

भारतीय खाद्य निगम के संबंध में कई सुझाव दिये गए हैं। कुछ सदस्यों ने खाद्य निगम के कर्मचारियों के प्रति अधिकारियों की बदले की भावना का जिक्र किया है। मुझे इस संबंध में कुछ कार्मिक संघों से अभ्यावेदन मिले हैं मैं उनकी जांच कर रहा हूं और यदि कर्मचारियों के प्रति अन्याय किया गया है तो उस ओर ध्यान दिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य ने पश्चिम बंगाल के प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की बात कही है। वे एक निश्चित अवधि के लिये प्रतिनियुक्त किये गए थे। इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के बीच करार हुआ था इसलिये वे निगम में खपाए नहीं जा सकते। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अपनी सेवाओं में खपाने का विधान भी पास कर दिया है।

जहां तक कलकत्ता कार्यालय के 52 सहायक प्रबंधकों की समस्या है खाद्य निगम को निदेशक मंडल पदावन्नति होने के कारण उन्हें हुई परेशानी को महसूस करता है और 5-4-1977 को हुई मंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि तदर्थ रूप में पदोन्नत किये गए इन अधिकारियों की पदान्नत होने पर भी उनके वेतन और भत्ते वही रखे जाएंगे जो उन्हें कम से कम एक वर्ष या उससे अधिक समय सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करते समय मिलते थे। इससे उनकी आर्थिक कठिनाई हल हो जाएगी।

भंडारण की कठिनाई की ओर भी ध्यान दिलाया गया है । भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी ऐजेंसियों के पास 2 करोड़ और 7 लाख टन की भंडारण क्षमता है और इसे बढ़ाकर 2 करोड़ 47 लाख टन किया जाएगा। प्राइवेट पार्टियों द्वारा बनाए गए भण्डारों को किराए पर लेने की एक योजना बनाई गई है । इससे हमें आशा है कि 25 लाख टन की अतिरिक्त व्यवस्था हो जाएगी । इस कठिनाई को दूर करने के लिये हम अन्य तरीके भी खोज रहे हैं ।

विदेशों से खाद्यान्न आयात को बन्द करने का सुझाव दिया गया है । सरकार भी यही चाहती है । चालू वर्ष के बाद खाद्यान्न का आयात नहीं किया जाएगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2, 3, 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 2, 3, 1, Enacting Formula and the title were added to tne Bill

श्री प्रकाश सिंह बादल : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक पारित किया जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक के सम्बन्ध में गारंटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. INCREASE IN MAXIMUM GUARANTEE LIMITED IN RESPECT OF CENTRAL COOPERATIVE BANKS AND THE TAMIL NADU STATE COOPERATIVE BANK.

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : "जब कि तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों और तमिलनाडु राज्य सरकारी बैंक के सम्बन्ध में अल्पावधि ऋण, मध्यम-अवधि ऋण तथा मध्यम-अवधि परिवर्तित ऋणों की 3,870.00 लाख रु० तक की अधिकतम राशि की अदायगी की गारंटी दी है जैसा कि तमिलनाडु सरकार के सहकारिता विभाग के जी० ओ० एम० संख्या 321, कोआपरेशन, दिनांक 30-6-1971 में उल्लिखित है; और

जबकि केन्द्रीय सहकारी बैंकों और तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक के संबंध में अधिकतम गारंटी की सीमा 6,115.00 लाख रुपये तक बढ़ना आवश्यक समझा गया है ; और

जबकि तमिलनाडु विधान सभा भंग कर दी गयी है, अतः लोक सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि तमिलनाडु सरकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक के सम्बन्ध में गारंटी की सीमा 6,115.00 लाख रुपये तक बढ़ा सकती है जैसा कि तमिलनाडु सहकारी समिति अधिनियम 1961 (1961 का तमिलनाडु अधिनियम 53) की धारा 73घ के अधीन अपेक्षित है । "

सभापति महोदय : संकल्प सभा के समक्ष है ।

श्री प्रो० वी० अलगेसन (अरकोनम) : मैं संकल्प का समर्थन करते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु सहकारिता आन्दोलन को द्रमुक शासन के दौरान सबसे अधिक हानि हुई । द्रमुक दल ने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु इसका रूप बिगाड़ दिया इसका दुरुपयोग किया । निर्धन कृषक बिल्कुल लाचार हो गये थे । राष्ट्रपति के शासन के दौरान सभी गैर सरकारी निकायों और गैर सरकारी निदेशक मंडलों को समाप्त कर दिया गया और सहकारी बैंकों केन्द्रीय बैंकों और अन्य शीर्षस्थ बैंकों में विशेष अधिकारी नियुक्त किये गये । परामर्शदाताओं के कार्यकाल में विभिन्न केन्द्रीय बैंकों की जांच के लिये एक दल गठित किया गया तथा इस जांच से कई ऐसे सनसनी खेज मामले प्रकाश में आए जिनमें अन्धाधुन्ध, दल के लोगों को रुपया उधार दिया गया । अनेक बैंकों के कर्मचारियों को जबर्दस्ती छुट्टी पर भेजा गया तथा उनके स्थान पर अस्थायी लोगों को रखा गया तथा उनसे रुपया लिया गया । मैं एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देना चाहता हूं जो पहले सैन्ट्रल बैंक का अध्यक्ष था और बाद में मंत्री बन गया वह नियमन रूप से ही बैंक की कार से पैट्रोल चोरी करता था । उसने मंत्री पद संभालने के बाद भी पैट्रोल की चोरी का धन्धा नहीं छोड़ा । एक रात जब उसका पुत्र पैट्रोल चोरी कर रहा था अक्समात पैट्रोल की टंकी में आग लग गई और उसके पुत्र की तत्काल मृत्यु हो गई । मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इन रिपोंटों की ओर ध्यान दे और सहकारिता के क्षेत्र में सुधार करने का प्रयत्न करे यह बहुत दुख की बात है कि द्रमुक शासन के दौरान सहकारिता आन्दोलन का इतना बुरा हाल हो गया है ।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । गत चार वर्षों से तमिलनाडु में लगातार भयंकर सुखा पड़ रहा है । अब स्थिति और भी खराब होती जा रही है क्योंकि अब डेल्टा-क्षेत्र भी सूखे से प्रभावित हो गया है । अतः प्रस्तावित संकल्प से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी । वर्षा अनुकूल होने पर भी रैयत को भुगतान करने की क्षमता प्राप्त करने में दो वर्ष लगेंगे । अतः सभी अल्पकालिक ऋणों को मध्य या दीर्घकालिक ऋणों में था बदल दिया जाना चाहिये । इस प्रकार से ऋणों को बदलने के लिये बैंकों में हजारों प्रार्थना-पत्र विचार धीन पड़े हैं । उनकी इस मांग को उदारतापूर्वक स्वीकार किये जाने के आदेश जारी किये जाने चाहिये । परन्तु यह भी पर्याप्त नहीं है । रैयतों को नये ऋण दिये जायें ।

द्रमुक के शासन काल में लाखों रुपये के बेनामी ऋण दिये जायें और अब बेचारे किसानों को तंग किया जा रहा है । रैयतों की शिकायतों पर उचित रूप में गौर किया जाना चाहिये और उन्हें इस बेनामी ऋण के भार से मुक्त किया जाना चाहिये । इन ऋणों की पूरी जांच की जाये और इसमें दोषी लोगों को उचित दण्ड दिया जाये । निर्दोष रैयतों को तंग नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री प्रकाश सिंह बादल : यह एक सामान्य सा संकल्प है । तमिल सहकारिता समिति अधिनियम, 1961 की धारा 73-घ के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों को अधिकतम राशि की गारंटी दी जानी है तथा इस राशि को दोनों सभाओं की सहमति से बढ़ाया जा सकता है । राज्य सरकार ने इस राशि को 3870 लाख रुपये से बढाकर 6115 लाख रुपये करने का सुझाव दिया गया है, जिससे रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले ऋण की आवश्यकता की पूर्ति कर सके । चूंकि तमिलनाडु विधान सभा भंग कर दी गई है इसलिये अब यह काम संसद को करना है । वर्तमान अधिकतम राशि 1971 में निश्चित की गई थी । अतः इसे बढ़ाना किसानों के हित में है ।

यह सुझाव दिया गया है कि अल्पकालिक ऋणों को दीर्घकालिक ऋणों में बदल दिया जाये । इस राशि में से 4375 लाख रुपया इसी काम के लिये है । यह राज्य में विद्यमान सूखे की स्थिति को देखते हुए ही किया गया है ।

सहकारिता आन्दोलन की समस्याओं पर भी हम विचार करेगें ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"जब कि तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों और तमिलनाडु राज्य सरकारी बैंक के सम्बन्ध में अल्पावधि ऋण, मध्यम-अवधि ऋण तथा मध्यम-अवधि परिवर्तित ऋणों की 3,870.00 लाख रु० तक की अधिकतम राशि की अदायगी की गारंटी दी है जैसा कि तमिलनाडु सरकार के सहकारिता विभाग के जी० ओ० एम० संख्या 321, कोआपरेशन, दिनांक 30-6-1971 में उल्लिखित है; और

जबकि केन्द्रीय सहकारी बैंकों और तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक के संबंध में अधिकतम गारंटी की सीमा 6,115.00 लाख रुपये तक बढ़ाना आवश्यक समझा गया है ; और

जबकि तमिलनाडु विधान सभा भंग कर दी गयी है, अतः लोक सभा एतदद्वारा संकल्प करती है कि तमिलनाडु सरकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक के सम्बन्ध में गारंटी की सीम

6,115.00 लाख रुपये तक बढ़ा सकती है जैसा कि तमिलनाडु सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (1961 का तमिलनाडु अधिनियम, 53) की धारा 73 घ के अधीन अपेक्षित है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

डा० सुब्रामण्यम स्वामी : मैं मेरे नाम में दर्ज मद संख्या 25 को अगले सत्र के लिये स्थगित किये जाने के लिये राजी हूं ।

श्री समर गुह : मैं भी मेरे नाम में दर्ज मद संख्या 26 को अगले सत्र के लिये स्थगित किये जाने के लिये राजी हूं ।

सभापति महोदय : क्या सभा इन मदों को स्थगित किये जाने के लिये सहमत है ।

कुछ माननीय सदस्य : स्थगित कर दीजिये ।

सभापति महोदय : सभा इन मदों को स्थगित करने के लिये सहमत है । लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है ।

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

M/B(D)1LSS—200—8-6-77—GIPS

P.L.S. 48. I. 11. 77(N)
200

© 1977 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय को प्राप्त
लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छटा संस्करण) के
नियम 379 श्रौर 382 के श्रन्तर्गत प्रकाशित श्रौर प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला द्वारा मुद्रित ।

(C) 1977 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixth Edition) and Printed by the Manager, Government of India Press, Simla